[2018] 10 एस. सी. आर 141

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस।

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2011 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 536)

सितंबर 25,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, आर. एफ. नरीमन,

ए. एम. खानविलकर, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और

इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 102 (ए) से (डी) और (ई) 324-राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए, क्या अदालत आदेश जारी कर सकती है।

किसी व्यक्ति का सामना करने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने के लिए संसद को संसद सदस्य के लिए चुनाव लड़ने से गंभीर प्रकृति के आरोप; और क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रोत्साहित नहीं करके राजनीतिक दल के पार्टी अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए जा सकते हैं ए में

संवैधानिक लोकतंत्र, राजनीति का अपराधीकरण बेहद विनाशकारी है-हालांकि राजनीति में अपराधीकरण एक कड़वा सच है, लेकिन न्यायालय इस तरह के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने में सक्षम नहीं है - संसद के पास निर्धारित करने के लिए विशेष विधायी शक्ति है

सदस्यता के लिए अयोग्यता-कला। 201 (1) अयोग्यता के लिए कुछ आधार निर्दिष्ट करता है-कोई भी अन्य अयोग्यता संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत जोड़ी जा सकती है-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का अध्याय III अयोग्यता से संबंधित है

सदस्यता-अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को अध्याय III के प्रावधानों के अलावा 'किसी अन्य आधार पर' अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है-इस प्रकार, विधायिका ने बहुत स्पष्ट रूप से इसके लिए आधारों की गणना की है -

अयोग्यता और एस की भाषा। 7 ((ख) अधिनियम किसी भी नए आधार को जोड़ने या पेश करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है-कला। 324 बिछड़ाते हैं। निर्वाचन आयोग की पर्यवेक्षण करने की शक्ति को कम करना और

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना-हालाँकि, उक्त शक्ति की अपनी सीमाएँ हैं-चुनाव आयोग को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप कार्य करना पड़ता है और वह इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है -

उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को एक निर्देश कि चुनाव में एक उम्मीदवार जिसके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं,

[2018] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी राजनीतिक दल के लिए आरक्षित चिह्न के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो राज्य की न्यायिक शाखा के दायरे से बाहर है-इस तरह का निर्देश अयोग्यता के लिए एक नया आधार जोड़ने के बराबर होगा।

इस तरह का प्रयास न्यायिक शक्ति का एक रंगीन प्रयोग होगा-इससे एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा करने की क्षमता हो सकती है जो सीधे करने की अनुमति नहीं है दागी उम्मीदवार, भले ही पार्टी के प्रतीक से वंचित हो जाए और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, प्रभाव समान होगा-इसलिए, चुनाव आयोग को ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता है।

संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय-राज्य की न्यायिक शाखा संवैधानिक लोकाचार के कर्तव्य से भरी होने के कारण उस शक्ति को हड़प नहीं सकती, जो उसके पास नहीं है-हालाँकि, लोकतंत्र में नागरिक

भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता-का प्रकटीकरण

अतीत चुनाव को निष्पक्ष बनाता है और मतदाताओं द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग भी पवित्र हो जाता है-वर्तमान में

परिदृश्य में, उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है और मतदाताओं की भीड़ को पूर्ववृत्त के बारे में पता नहीं चलता है-जानकारी प्राप्त करने का उनका अधिकार प्रभावित होता है

इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पूरी और व्यापक जानकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस. एस. दी गई है। 7 (ख), 8,8 ए, 9,9 ए, 10 और 10 ए।

रिट याचिकाओं और अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 संविधान का एक अनिवार्य घटक

लोकतंत्र अपने नागरिकों को देने और सुरक्षित करने की क्षमता है। स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधि रूप, जिसमें एक ऐसी राजनीति शामिल होती है जिसके सदस्य उच्च सत्यनिष्ठा और नैतिकता वाले पुरुष और महिलाएँ होते हैं। इसे किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की पहचान कहा जा सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति का अपराधीकरण कभी भी एक अज्ञात घटना नहीं थी। [पारस 26 और 28] [167-एफ; 168-बी]

1.2 चुनाव आयोग भी 1998 से राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे पर जीवित रहा है। द.

प्रस्तावित के लिए विधि आयोग की सिफारिशें संशोधन ने कभी भी एक सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून के रूप में दिन की रोशनी नहीं देखी, लेकिन यह सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस की प्रगति की प्रवृत्ति के बारे में समाज की चिंता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

वी. यूनियन सी इंडिया और एएनआर।

राजनीति में असंतुलन जिसमें प्रवृत्ति है और

एक कॉन्स्टीट्यूट ऑक्रेसी की रीढ़ की हड्डी को कंपकंपी भेजने की क्षमता। [पारस 29 और 59] [169-ए; 187-डी-ई]

दिनेश त्रिवेदी, एम. पी. और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (1997) 4 एस. सी. सी. 303: [1997] 3 एस. सी. आर. 93; अनुकुल चंद्र प्रधान, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय बनाम। भारत संघ और अन्य (1997) 6 एस. सी. सी. 1: [1997] 1 पूरक। एस. सी. आर. 641; के. प्रभाकरण बनाम पी. जयराजन आकाशवाणी 2005

एससी 688: [2005] 1 एससीआर 296; मनोज नरूला बनाम। संघ

भारत (2014) 9 एस. सी. सी. 1: [2014] 9 एससीआर 965

पर भरोसा किया।

-

योगेंद्र कुमार जयसवाल और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य (2016) 3 एस. सी. सी. 183; मोहिंदर सिंह गिल बनाम।

मुख्य चुनाव आयुक्त ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 851:

[1978] 2 एस. सी. आर. 272; भारत संघ बनाम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) 5 एस. सी. सी. 295: [2002] 3 एससीआर 696; सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम। भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस और अन्य (2013) सी. आई. सी. 8047; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ (2003) 4 एस. सी. सी. 399 [2003] 2 एस. सी. आर. 1136; महाराष्ट्र राज्य बनाम

सोमनाथ थापा (1996) 4 एस. सी. सी. 659: [1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 189; भारत संघ बनाम। प्रफुल्ल कुमार सामल (1979) 3 एससीसी 4: [1979] 2 एस. सी. आर. 229 संदर्भित है।

चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति (1990);

वोहरा (समिति) रिपोर्ट; विभाग द्वारा 15 मार्च, 2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत 18 वीं रिपोर्ट

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय चुनाव सुधार (कुछ अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने पर चुनाव लड़ने से व्यक्तियों को अयोग्य ठहराना); "चुनावी अयोग्यता" शीर्षक वाली 244 वीं विधि आयोग की रिपोर्ट, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट (एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.); कानून की 170 वीं रिपोर्ट।

आयोग; न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट आपराधिक कानून (2013) में संशोधन पर-निर्दिष्ट

को।

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 एक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्यता के संबंध में

संसद के किसी भी सदन के सदस्य और इसी तरह चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्यता

किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद, कानून संसद द्वारा बनाया जाना है। संसद के पास सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्धारित करने की विशेष विधायी शक्ति है। [पैरा 7] [155-बी-सी, जी-एच] 2.2 अनुच्छेद 102 (1) कुछ आधारों को निर्दिष्ट करता है और आगे यह प्रावधान करता है कि किसी भी अयोग्यता को किसी के द्वारा या उसके तहत जोड़ा जा सकता है।

संसद द्वारा बनाया गया कानून। अनुच्छेद 191 का एक ही चरित्र है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अध्याय III संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। [पारस 13 और 14] [159-एफ-जी]

2.3 'अयोग्य' शब्द को एस द्वारा परिभाषित किया गया है। 7 (ख) 1951 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाए। अध्याय III के प्रावधानों के तहत और/या किसी अन्य आधार पर नहीं। 'कोई अन्य आधार नहीं' शब्दों का बहुत महत्व है। इसके अलावा

अनुच्छेद 102 (1) (ए) से 102 (1) (डी) और अनुच्छेद 191 (1) (ए) से 191 (1) (डी) के तहत उल्लिखित आधारों से, अन्य आधार संसद द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संसद ने धाराओं के तहत प्रदान किया है। 8 , 8 ए, 9,9 ए, 10 और 10 ए। [पैरा 15] [160-सी-डी]

2.4 धारा 8 के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता से संबंधित है

कुछ अपराध। धारा 8 ए में अयोग्यता का प्रावधान है -

भ्रष्ट प्रथाओं का आधार। धारा 9 में भ्रष्टाचार या बेवफाई के लिए बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। धारा 9 ए उस स्थिति से संबंधित है जहां व्यक्ति और उपयुक्त सरकार के बीच स्थायी अनुबंध है। धारा 10 सरकारी कंपनी के तहत पद के लिए अयोग्यता को निर्धारित करती है और धारा 10 ए चुनाव खर्च का खाता दर्ज करने में विफलता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। इनके अलावा

अयोग्यता, कोई अन्य अयोग्यता नहीं है और, कोई अन्य आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार, विधायिका द्वारा कुछ और विशिष्ट आधारों पर अयोग्यता प्रदान की जाती है। ऐसे राज्य में विधायिका बिल्कुल विशिष्ट होती है। [पैरा 16] [165-बी-डी]

2.5 यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि न्यायालय कानून नहीं बना सकता है।

जहाँ तक अयोग्यता को जोड़ने का सवाल है, संवैधानिक सार्वजनिक हित आधार और ओआरएस।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

प्रावधान अयोग्यता को बताता है, शक्ति प्रदान करता है

विधायिका, जिसने बदले में, अनिवार्यता में कानून बनाया है। इस प्रकार, अयोग्यता के संबंध में प्रिस्क्रिप्शन पूर्ण है।

स्पष्ट रूप से अयोग्यता के लिए आधारों को सूचीबद्ध किया और उक्त प्रावधान की भाषा किसी भी नए आधार को जोड़ने या पेश करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। [पारस 22 और 23] [166-एफ, जी-एच; 167-ए]

मनोज नरूला बनाम। भारत संघ (2014) 9 एससीसी 1:

[2014] 9 एससीआर 965; लिली थॉमस बनाम। भारत संघ और

अन्य (2013) 7 एस. सी. सी. 653: [2013] 10 एससीआर 1130

-

पर भरोसा किया।

3.1 संविधान का अनुच्छेद 324 निम्न शक्तियों को निर्धारित करता है -

अधीक्षण के संबंध में चुनाव आयोग,

चुनावों का निर्देशन और नियंत्रण। चुनाव आयोग के पास पूर्ण शक्ति है और उसके विचार को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी करने की शक्ति है। हालाँकि, उक्त शक्ति की अपनी सीमाएँ हैं। चुनाव आयोग को बनाए गए कानून के अनुरूप कार्य करना होगा

संसद द्वारा और यह इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है।

[पारस 61 और 70] [187-जी; 193-ई-एफ]

3.2 प्रतीक आदेश आवंटन, वर्गीकरण से संबंधित है,

उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन और प्रतीकों के आवंटन पर प्रतिबंध। जब किसी उम्मीदवार को किसी विशेष राजनीतिक दल द्वारा चुनाव में खड़ा किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को प्रतीक आदेश के खंड (8) के उपखंड (3) के तहत उस संबंधित राजनीतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक चुनने का अधिकार है जिसके द्वारा उसने चुनाव लड़ा है।

स्थापित किया गया। चुनाव आयोग पर एक समान कर्तव्य भी रखा गया है कि वह ऐसे उम्मीदवार को उस राजनीतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित करे जिसके द्वारा वह स्थापित किया गया है और किसी अन्य उम्मीदवार को नहीं। जहाँ एक विशेष राजनीतिक दल के लिए एक विशेष प्रतीक आरक्षित है और ऐसा राजनीतिक दल चुनावों में एक उम्मीदवार स्थापित करता है जिसके खिलाफ जघन्य और/या गंभीर अपराधों के लिए आरोप बनाए गए हैं और इस न्यायालय को चुनाव आयोग को निर्देश देना था कि ऐसे उम्मीदवार को

राजनीतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो यह अयोग्यता के लिए एक नया आधार जोड़ने के समान होगा जो [2018] 10 एस. सी. आर. है।

राज्य की न्यायिक शाखा के दायरे से परे। इसके विपरीत कोई भी प्रयास न्यायिक शक्ति का एक रंगीन प्रयोग होगा क्योंकि यह स्वयंसिद्ध है कि "जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाना चाहिए" जो भारतीय न्यायपालिका में एक सर्वमान्य सिद्धांत है। [पारस 86,97 और 98] [197-ई-एफ; 201-ई-एच]

3.3 याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए किसी भी निर्देश से विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ करने की प्रभाव क्षमता है जो सीधे करने की अनुमति नहीं है। [पैरा 104] [203-सी]

3.4 यहां तक कि अगर संबंधित व्यक्ति एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है, तो प्रभाव समान होगा। इसके अलावा, एक कानून के बिना, इसे प्रतिबंधित करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, बहुदलीय प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र को नुकसान पहुँचने की संभावना है। इसलिए, हालांकि राजनीति में अपराधीकरण एक कड़वा प्रकट सत्य है, जो लोगों के लिए एक दीमक है।

लोकतंत्र का गढ़, न्यायालय कानून नहीं बना सकता है। [पैरा 104 और 106] [203-डी; 204-जी]

3.5 चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश, जैसा कि इस मामले में माँगा गया था, एक आदर्शवादी दुनिया में, एक सरसरी नज़र में, चुनाव आयोग की दुर्भावना का एक प्रतिकार प्रतीत हो सकता है।

राजनीति में अपराधीकरण लेकिन इस तरह के निर्देश, एक करीबी जांच पर, स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि यह संवैधानिक रूप से अनुमत नहीं है। द.

संविधान के अंतिम मध्यस्थ और संवैधानिक लोकाचार के रक्षक होने के कर्तव्य से लदी राज्य की न्यायिक शाखा उस शक्ति को हड़प नहीं सकती जो उसके पास नहीं है। [पैरा 107] [204-एच; 205-ए-बी]

3.6 बहुदलीय लोकतंत्र में, जहाँ सदस्य चुने जाते हैं

पार्टी लाइन पर और पार्टी अनुशासन के अधीन हैं, यह है

संसद को एक मजबूत कानून लाने की सिफारिश की गई जिसके तहत राजनीतिक दलों के लिए उन व्यक्तियों की सदस्यता को रद्द करना अनिवार्य है जिनके खिलाफ जघन्य और गंभीर अपराधों में आरोप लगाए गए हैं और संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए चुनावों में ऐसे व्यक्तियों को स्थापित नहीं करना है। यह एक लंबा रास्ता तय करेगा।

राजनीति के गैर-अपराधीकरण को प्राप्त करना और बेदाग, बेदाग, बेदाग और गुणी संवैधानिक लोकतंत्र के युग की शुरुआत करना।

[पैरा 108] [205-बी-सी] सार्वजनिक रुचि आधार और ओआरएस। वी. यूनियन ओ इंडिया एंड ए. एन. आर.

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य और एक अन्य (1973) 4 एससीसी 225: [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1 का अनुसरण किया गया।

ए. सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई और अन्य एआईआर 1984 एससी 921: [1984] 3 एस. सी. आर. 74; एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) 5 एस. सी. सी. 295: [2002] 3 एस. सी. आर. 696; कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ और अन्य (2006) 7 एस. सी. सी. 1: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस (आई) वी. समाज कल्याण और अन्य संस्थान (2002) 5 एस. सी. सी. 685: [2002] 3 एससीआर 1040; जागीर सिंह बनाम। रणबीर सिंह और एक अन्य (1979) 1 एस. सी. सी. 560: [1979] 2 एससीआर 282; एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 212: [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 389; हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। सतपाल सैनी

(2017) 11 एससीसी 42: [2017 1 एससीआर 658; एलाइड मोटर्स लिमिटेड बनाम। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2012) 2 एस. सी. सी. 1: [2011] 16 एससीआर 422; नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट ए. आई. आर 1936 पी. सी. 253; डी. आर. वेंकटचलम और अन्य बनाम डी. परिवहन आयुक्त और अन्य एआईआर 1977 एससी 842: [1977] 2 एस. सी. आर. 392; राज्य के माध्यम से। पी. एस. लोधी कॉलोनी नई दिल्ली बनाम संजीव नंदा

ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3104: [2012] 12 एस. सी. आर. 881; रश्मि रेखा थातोई और एक अन्य बनाम। उड़ीसा और अन्य राज्य (2012) 5 एस. सी. सी. 690: [2012] 5 एससीआर 674; शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत निर्वाचन आयोग 2018 (10) स्केल 52; पुनरुत्थान भारत बनाम। भारत निर्वाचन आयोग (2014) 14 एस. सी. सी. 189: [2013] 9 एस. सी. आर. 360; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ (2013) 10 एससीसी 1: [2013] 12 एस. सी. आर. 283 पर भरोसा किया। भारत का चुनाव आयोग और एक अन्य। वी. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और एक अन्य (1996) 4 एससीसी 104: [1996] 1 पूरक। एससीआर 637; मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 851: [1978] 2 एस. सी. आर. 272; अमित कपूर बनाम रमेश चंदर और अन्य (2012) 9 एस. सी. सी. 460 [2012] 7 एस. सी. आर. 988; भारत संघ और एक अन्य बनाम। देउकी नंदन अग्रवाल (1992) 1 पूरक। एस. सी. सी. 323; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और एक अन्य (1998) 4 एस. सी. सी. 409: [1998] 2 एस. सी. आर. 795-संदर्भित।

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1 संवैधानिक लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण एक अत्यंत विनाशकारी और दुखद स्थिति है। नागरिकों ने लोकतंत्र में खुद को भ्रष्टाचार के मूक, मूक और मूक दर्शक के रूप में पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

असहाय। मतदाताओं को अपने भाग्य के अनुसार इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी में सब कुछ व्यक्त होना चाहिए।

जो कानून के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा वारंट किया गया है। पूर्ववृत्तियों का खुलासा चुनाव को निष्पक्ष बनाता है और मतदाताओं द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग भी पवित्र हो जाता है। इस तरह का अधिकार लोकतंत्र के लिए सर्वोपरि है। एक मतदाता को एक सूचित विकल्प का अधिकार है। यदि उचित जानकारी प्राप्त करने के उसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, तो अंतिम रूप से यह लोकतंत्र के विनाश का कारण बन सकता है क्योंकि वह एक जागरूक मतदाता नहीं होगा जिसे उन उम्मीदवारों के बारे में अंधेरे में रखा गया है जिन पर जघन्य अपराधों का आरोप है। वर्तमान परिदृश्य में, उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है और मतदाताओं की भीड़ वास्तव में इसके बारे में नहीं जानती है।

पूर्ववर्ती। जानकारी प्राप्त करने का उनका अधिकार प्रभावित होता है। [पैरा 115] [210-बी-डी]

4.2 यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म को भरना होगा; इसमें कहा जाएगा,

राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से संबंधित उपरोक्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होगा; उम्मीदवार के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेगा। उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में स्थानीयता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी व्यापक प्रचार करते हैं यानी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद तीन बार। इन निर्देशों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सच्ची भावना और सही गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। [पारस 116 और 117] [210-एफ-जी; 211-ए-बी]

4.3 किसी कानून या विधायी अधिनियम में कुछ खामियां या खामियां हो सकती हैं जिन्हें निश्चित रूप से विधायिका द्वारा संबोधित किया जा सकता है यदि यह सार्वजनिक रुचि के आधार और ओआरएस को सुधारने के लिए सही सोच वाले दिमागों के उचित इरादे, मजबूत संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति से समर्थित है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

स्थिति। संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन की कमी के लिए कानून को हमेशा दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, यह सभी संबंधित लोगों की गंभीर जिम्मेदारी है कि

राजनीति और लोकतंत्र में शुद्धता की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक जानकार नागरिक को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनों के साथ-साथ निर्देशों को लागू करना, क्योंकि अंततः यह नागरिक वर्ग है जो किसी राष्ट्र में राजनीति के भाग्य और पाठ्यक्रम का फैसला करता है और इस तरह यह सुनिश्चित करता है कि "हम जितना योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा", और इस प्रकार, उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी। यह नागरिकों द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लेने और सूचित चयन का आधार है। जानकार चुनाव एक शुद्ध और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। [पैरा 117] [211-बी-ई]

4.4 संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना चाहिए कि व्यक्ति

गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ना राजनीतिक धारा में प्रवेश नहीं करता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की धारणा के तहत छिपना एक बात है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं और कानून बनाने में भाग लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के गंभीर आपराधिक आरोप से ऊपर होना चाहिए। यह सच है कि संभावित उम्मीदवारों पर झूठे मामले थोपे जाते हैं, लेकिन संसद द्वारा उचित कानून के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है। [पैरा 118]

[211 - एफ-जी]

मामला कानून संदर्भ

(2016) 3 एससीसी 183

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

[2014] 9 एससीआर 965

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2013] 10 एससीआर 1130

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

[1997] 3 एससीआर 93

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[1997] 1 पूरक। एस. सी. आर. 641 पर निर्भर

पै

रा 31

[2005] 1 एससीआर 296

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[1978] 2 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[2002] 3 एससीआर 696

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

(2013) सी. आई. सी 8047

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[2003] 2 एससीआर 1136

संदर्भित किया गया है

[1996] 1 पूरक। एससीआर 189

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1979] 2 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 637 को संदर्भित किया गया

पैरा 63

[1984] 3 एससीआर 74

उस पर भरोसा करें

पैरा 67

[2002] 3 एससीआर 696

उस पर भरोसा करें

पैरा 68

[2006] 5 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 69

[2002] 3 एससीआर 1040

उस पर भरोसा करें

पैरा 75

[1979] 2 एससीआर 282

उस पर भरोसा करें

पैरा 77

[2000] 1 पूरक। एससीआर 389

उस पर भरोसा करें

पैरा 77

[2017 1 एससीआर 658

उस पर भरोसा करें

पैरा 79

[1973] पूरक। एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 79

[2012] 7 एससीआर 988

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

(1992) 1 पूरक। एससीसी 323

पैरा 84

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 एससीआर 795

संदर्भित किया गया है

पैरा 84

[2011] 16 एससीआर 422

उस पर भरोसा करें

पैरा 100

उस पर भरोसा करें

आकाशवाणी 1936 पी. सी. 253

पैरा 100

[1977] 2 एससीआर 392

पैरा 101

उस पर भरोसा करें

[2012] 12 एससीआर 881

उस पर भरोसा करें

पैरा 102

[2012] 5 एससीआर 674

उस पर भरोसा करें

पैरा 103

उस पर भरोसा करें

पैरा 104

2018 (10) स्केल 52

[2013] 9 एससीआर 360

उस पर भरोसा करें

पैरा 113

[2013] 12 एससीआर 283

उस पर भरोसा करें

पैरा 115

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः

2011 के (सिविल) No.536 पर

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1714-1715 2007 की रिट याचिका (2011 की आपराधिक याचिका 08 और 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 800।

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, सुश्री वैशाली वर्मा, सुश्री देविका गुलाटी, सुश्री माधवी कुमार सावंत, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा (मिलिंद कुमार के लिए), मेसर्स। कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान,

सुश्री के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, जेड. एच. इसाक हैडिंग, बालाजी श्रीनिवासन, अनिल श्रीवास्तव, सुदर्शन सिंह रावत, सुहान मुखर्जी, [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हर्ष हीरू गुरसाहनी, सुश्री काजल दलाल, अभिषेक मनचंदा, सुश्री आस्था शर्मा (मेसर्स के लिए। पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी), लीशांगथेम

रोशमनी ख। , सुश्री मैबम बबीना, बालाजी श्रीनिवासन, जेम्स पी. थॉमस, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, कौस्तुभ सिंह, गोपाल

शंकरनारायणन, ए. के. उपाध्याय, सुश्री श्रेय पटनायक, सुश्री ऐश्वर्या केन, विक्रम गुलाटी (आर. डी. उपाध्याय के लिए), अश्विनी कुमार दुबे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

विक्रम गुलाटी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई। 1. योगेंद्र कुमार जयस्वाल और

अन्य वी। बिहार राज्य और अन्य ', न्यायालय ने राय दीः

" भ्रष्टाचार, एक 'संज्ञा' जब एक की सभी विशेषताओं को मानता है

क्रिया ', स्व-संक्रामक हो जाता है और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी विकसित करता है। ऐसी स्थिति में प्रच्छन्न नायक कभी भी हैमलेटियन प्रश्न नहीं करता है-"होना या न होना"-लेकिन विकृत प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ता है-बिना किसी चिंता के, सामूहिक हित की परवाह किए बिना, और अपरिवर्तनीय रूप से विवेक के बिना। एक तरह से भ्रष्टाचार यह एक राष्ट्रीय आर्थिक आतंक बन जाता है।

जो भारतीय राजनीति में प्रवेश कर रहा है। राजनीति के अपराधीकरण की यह अस्थिर रूप से बढ़ती प्रवृत्ति, जिसके लिए हमारा देश एक रहा है गवाह, संवैधानिक लोकाचार को बाधित करने की प्रवृत्ति रखता है और हमारे नागरिकों को उन लोगों के हाथों पीड़ित करके सरकार के हमारे लोकतांत्रिक रूप की जड़ पर हमला करता है जो हमारे देश के लिए एक दायित्व के अलावा और कुछ नहीं हैं।

3. इस पीठ के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दा सामने आता है वह है -

क्या सदस्यता के लिए अयोग्यता को न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 102 (ए) से (डी) और अनुच्छेद 102 (ई) के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून से परे निर्धारित किया जा सकता है। मामले की सुनवाई कर रही तीन-न्यायाधीशों की पीठ का विचार था कि इस प्रश्न को संविधान द्वारा संबोधित किया जाना आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत पीठ। यह कहा जा सकता है कि तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था कि विवाद था

1 (2016) 3 एस. सी. सी. 183 सार्वजनिक रुचि आधार और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

मनोज नरूला बनाम में निर्णय द्वारा शामिल। भारत संघ 2. उक्त निवेदन मदन बी. लोकुर, जे. द्वारा अपने अलग निर्णय में व्यक्त किए गए विचार के कारण स्वीकार नहीं किया गया था।

4. सुनवाई के दौरान, लोकतांत्रिक निकाय राजनीति में राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए भारी चिंता के साथ प्रश्न की रूपरेखा का विस्तार किया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के उदय को ध्यान में रखते हुए, राजनीति के गैर-अपराधीकरण की मौलिक अवधारणा को देखा जाना चाहिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम से और इस न्यायालय को, व्याख्या के पहलू को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक राज्य कौशल की भूमिका ग्रहण करनी चाहिए। श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी और अन्य विद्वान वकील, इसके विपरीत, प्रस्तुत करेंगे कि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह न्यायालय संविधान का अंतिम मध्यस्थ है और संविधान को अधिकार देता है।

राज्य की इस शाखा को व्याख्या के मानदंडों को निर्धारित करने और न्यायिक राज्य कौशल दिखाने के लिए, लेकिन उक्त न्यायिक राज्य कौशल को शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित मौलिक कानून की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, प्राथमिक

संबंधित शक्तियों के तहत अधिकारियों को प्रदत्त जिम्मेदारी और यह तथ्य कि किसी भी प्राधिकरण को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके लिए संविधान से शक्ति का प्रवाह न हो। संक्षेप में, श्री वेणुगोपाल का निवेदन है कि न्यायालय को 'लक्ष्मण रेखा' को पार नहीं करना चाहिए। संवैधानिक आधार के आधार पर और इस मूल सिद्धांत पर कि यदि न्यायालय यह ठहराता है कि वह कानून नहीं बना सकता है, लेकिन केवल संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के तहत परिकल्पित कानून लाने की सिफारिश करता है, तो इस शुद्ध कारण से कि क्या नहीं किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके का सहारा लेना उचित नहीं होगा।

प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाना चाहिए। हम बाद के चरण में उक्त प्रस्तुति का विज्ञापन करेंगे।

5. अनुच्छेद 102 इस प्रकार हैः -

" 102. सदस्यता के लिए अयोग्यता-(1) किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

संसद का कोई भी सदन

(क) यदि वह घोषित पद के अलावा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद रखता है।

संसद द्वारा कानून द्वारा अपने धारक को अयोग्य नहीं ठहराना;

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और सक्षम व्यक्ति द्वारा घोषित किया गया है।

अदालत;

2 (2014) 9 एससीसी 1 [2018] 10 एस. सी. आर.

(ग) यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है; (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, या किसी स्वीकृति के अधीन है।

किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन;

(ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का मंत्री है।

(2) एक व्यक्ति को दोनों में से किसी एक का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। संसद का सदन यदि वह दसवें के तहत अयोग्य है

अनुसूची "।

6. इस संदर्भ में हम संविधान के अनुच्छेद 191 का भी उल्लेख कर सकते हैं।

पदनाम जो सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। यह इस प्रकार है

बनाम ः -

" 191. सदस्यता के लिए अयोग्यता-(1) कोई व्यक्ति के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए

किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद (क) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए कानून द्वारा घोषित पद के अलावा;

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और सक्षम व्यक्ति द्वारा घोषित किया गया है।

अदालत;

(ग) यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है; (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी भी स्वीकृति के अधीन है;

(ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को भारत सरकार या प्रथम सार्वजनिक हित फाउंडेशन और ओ. आर. एस. में निर्दिष्ट किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

केवल इस कारण से अनुसूची करें कि वह या तो संघ का मंत्री है

या ऐसे राज्य के लिए।

(2) एक व्यक्ति को सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा

किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद, यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया गया।

7. दोनों अनुच्छेदों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि

किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्यताकिसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए संसद और इसी तरह की अयोग्यता,

संसद द्वारा किया जाना है। लिली थॉमस बनाम। संघ का

और अन्य 3, यह आयोजित किया गया हैः

" 26. दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और 191 (1) (ई) ने संसद को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता प्रदान करने वाली विधि

संसद या विधान सभा या विधान परिषद

विधायिका की सदस्यता की अयोग्यता निर्धारित करने वाला कानून राज्य की विधानसभा या विधान परिषद और शक्ति निहित है

संसद में भी अयोग्यता निर्धारित करने वाला कानून बनाने के लिए

विधान सभा या विधान सभा के सदस्यों का सम्मान

राज्य की परिषद। इन कारणों से, हमारी यह सुविचारित राय है कि संसद को कोई भी कानून बनाने की विधायी शक्ति है।

के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित

संसद या विधान सभा या विधान परिषद

राज्य केवल संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और 191 (1) (ई) में स्थित हो सकता है न कि अनुसूची VII के साथ पठित अनुच्छेद 246 (1) में।

संविधान की सूची I प्रविष्टि 97 और अनुच्छेद 248। हम नहीं करते,

इसलिए, श्री लूथरा के इस तर्क को स्वीकार करें कि

अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) संसद में निहित है

अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (1) के तहत और

संविधान का अनुच्छेद 248, यदि अनुच्छेद 102 (1) (ई) में नहीं है और

191 (1) (ई) संविधान का "।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऊपर व्यक्त किया गया विचार

सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्धारित करने की शक्ति।

एस. सी. सी. 653 [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. मनोज नरूला (ऊपर) में, प्रश्न के आसपास केंद्रित था

संविधान के अनुच्छेद 75 की व्याख्या। मुख्य मुद्दा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों और/या केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्रियों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों की वैधता से संबंधित था। बहुमत ने उल्लेख किया कि

संवैधानिक प्रावधान, अर्थात् अनुच्छेद 74,75,163 और 164, निहित सीमा के सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं और उस संदर्भ में, इस प्रकार राय देते हैं:

" 64. उपरोक्त निर्णयों के अनुपात की अध्ययन जांच पर,

हम आश्वस्त हैं कि जब कोई नहीं है

जघन्य या गंभीर अपराधों या अपराधों के संबंध में तैयार किया गया चुनाव लड़ने के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित, व्याख्यात्मक द्वारा

निषेध को अनुच्छेद 75 (1) में पढ़ना मुश्किल है या,

प्रक्रिया,

उस मामले के लिए, प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री की शक्तियों के लिए अनुच्छेद 164 (1) में इस तरह से। वह आएगा।

पात्रता की कसौटी के भीतर और निर्धारित करने के बराबर होगा

एक पात्रता योग्यता और एक अयोग्यता को जोड़ना जो है

संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। किसी की अनुपस्थिति में संवैधानिक निषेध या वैधानिक प्रतिबंध, इस तरह की अयोग्यता, हमारी सुविचारित राय में, संविधान के अनुच्छेद 75 (1) या अनुच्छेद 164 (1) में नहीं पढ़ी जा सकती है।

9. संवैधानिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया है

आपराधिक कानून के तहत। इसके बाद, अधिकांश ने अवधारणाओं को संबोधित किया 'संवैधानिक नैतिकता', 'संवैधानिक शासन' और 'संवैधानिक न्यास' के बारे में और अनुच्छेद 75 (1) के तहत नियोजित 'सलाह' शब्द का विश्लेषण किया और कहा कि अनुच्छेद 75 (1) के संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा एक राय का गठन उक्त शब्द के उपयोग से व्यक्त किया जाता है क्योंकि संविधान के तहत प्रधानमंत्री में विश्वास व्यक्त किया गया है और इसे अलग तरीके से कहने के लिए उक्त सलाह एक संवैधानिक सलाह है। संविधान सभा में बहस का संदर्भ दिया गया था जिसने प्रधानमंत्री में आंतरिक विश्वास के कारण इसे उनके विवेक पर छोड़ दिया था। आगे चर्चा करते हुए यह कहा गया है:

- सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" संविधान के निर्माण के समय बहस दोषसिद्धि से संबंधित थी। समय के परिवर्तन के साथ राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी पूरा रंग बदल गया है। इस न्यायालय ने, कई अवसरों पर, जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है,

राजनीति में अपराधीकरण और कई स्तरों पर भ्रष्टाचार की घेराबंदी। लोकतंत्र में, लोग कभी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा शासित होने का इरादा नहीं रखते हैं। यह केवल नागरिकों की आशा और आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह विचार भी है उपयुक्त कार्यकारी शासन में तल्लीन "।

फिर सेः -

" यह कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उचित सलाह देंगे, एक वैध संवैधानिक अपेक्षा है, क्योंकि यह एक सर्वोपरि संवैधानिक चिंता है। एक नियंत्रित संविधान में जैसे हमारे, प्रधान मंत्री से संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप के पोषित मूल्य

लोकतंत्र और सुशासन के स्थापित मानदंड प्राप्त करते हैं

विनम्रता से फलता-फूलता। संविधान निर्माताओं ने प्रधानमंत्री में अपार विश्वास व्यक्त करके कई चीजों को अलिखित छोड़ दिया।

संविधान की योजना बताती है कि संवैधानिक शासन का उदय होना चाहिए जो धीरे-धीरे होगा

संवैधानिक पुनर्जागरण को जन्म देने के लिए बढ़ें "।

ओकुर, जे. ने राय दीः -

" 132. यद्यपि हमारी राजनीति के अपराधीकरण और परिणामस्वरूप हमारी राजनीति के कारण यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो सकता है कि कुछ व्यक्ति मंत्री न बनें, लेकिन इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से यह संभव नहीं है। यह सुनिश्चित करना निर्वाचक मंडल का दायित्व है कि उपयुक्त (केवल पात्र ही नहीं) व्यक्ति विधानमंडल के लिए चुने जाएं और

विधायिका को अधिक प्रतिबंधात्मक कानून बनाने या न बनाने के लिए।

आगे बढ़ते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने कहाः -

" 137. इस संबंध में प्रधानमंत्री निश्चित रूप से संसद के प्रति जवाबदेह हैं और देश के लोगों की चौकस नजरों में हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ सीमाओं को संविधान में पढ़ा जा सकता है और अतीत में पढ़ा गया है, मंत्री के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का मुद्दा [2018] 10 एस. सी. आर. नहीं है।

जो इस न्यायालय को संविधान में निहित सीमाओं को पढ़ने में सक्षम बनाता है।

उन्होंने अपनी राय में संविधान सभा में डॉ. बी. आर. एडकर के शब्द 25.11.1949 और डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26.11.1949 पर संपादित भावनाओं को भी दोहराया था। डॉ. अम्बेडकर ने कहा थाः

" मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने संविधान का जितना हो सके उतना बचाव करने की पेशकश की है। इसलिए मैं संविधान के गुण-दोष में नहीं पड़ूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से खराब हो जाएगा क्योंकि जिन लोगों को ऐसा करने के लिए कहा जाता है

इसे काम करें, बहुत बुरा हो जाता है। संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यह अच्छा साबित हो सकता है अगर जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत अच्छे होते हैं। संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान

केवल राज्य के अंग जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रदान कर सकते हैं। राज्य के उन अंगों का काम-काज जिन कारकों पर निर्भर करता है, वे लोग और राजनीतिक दल हैं जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने साधन के रूप में स्थापित करेंगे। कौन कह सकता है कि भारत के लोग और उनकी पार्टियां कैसा व्यवहार करेंगी? क्या वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों को बनाए रखेंगे या उन्हें प्राप्त करने के क्रांतिकारी तरीकों को पसंद करेंगे? यदि वे क्रांतिकारी तरीकों को अपनाते हैं, चाहे संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, तो किसी भी पैगंबर को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह विफल हो जाएगा। इसलिए, कोई भी निर्णय देना व्यर्थ है। लोगों और उनके दलों के भूमिका निभाने की संभावना के संदर्भ के बिना संविधान पर।

11. विद्वान न्यायाधीश ने डॉ. राजेंद्र के शब्दों को दोहराया।

घ, जो आज तक बज रहा है, वे हैंः

कुछ एक बिंदु या दूसरे से आपत्तिजनक होना। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दोष देश की स्थिति में निहित हैं और बड़े पैमाने पर लोग। यदि चुने गए लोग सक्षम और चरित्र और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, तो वे यू. बी. एल. सी. इन्टरेस्ट फाउंडेशन और ओ. आर. एस. बनाने में सक्षम होंगे।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

एक दोषपूर्ण संविधान का भी सबसे अच्छा। अगर उनकी कमी है

इनमें संविधान देश की मदद नहीं कर सकता। आखिरकार, एक मशीन जैसा संविधान एक निर्जीव चीज है। यह जीवन प्राप्त करता है।

उन लोगों के कारण जो इसे नियंत्रित करते हैं और इसे संचालित करते हैं, और भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए जिनके पास होगा

उनके सामने देश का हित है।

कुरियन जोसेफ, जे. ने राय से सहमति जताते हुए कहा हैः

जिस तरह से उन्हें मंत्रिपरिषद में सहयोगियों का चयन करते समय अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। वह यह है कि उन कार्यकर्ताओं का संवैधानिक विशेषाधिकार जिन्हें संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और रक्षा के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यह है

प्रमुख कर्तव्य धारकों को संविधान को लागू करने में उनकी भूमिका के बारे में याद दिलाना इस न्यायालय का भविष्यसूचक कर्तव्य है। इसलिए, मेरा दृढ़ विचार है कि प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्वयं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करने की शपथ ली है, उन्हें अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वे मंत्रिपरिषद में किसी भी व्यक्ति से बचने पर विचार करें, जिसके खिलाफ आपराधिक अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों और विशेष रूप से अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में आरोप बनाए गए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का III "।

13. मामले का जोर यह है कि क्या कोई अयोग्यता संवैधानिक में सदस्यता के लिए अयोग्यता के संबंध में हो सकती है।

सायंस। अनुच्छेद 102 (1) कुछ आधारों को निर्दिष्ट करता है और आगे यह प्रावधान करता है कि अयोग्यता को संविधान द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत जोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 191 का एक ही चरित्र है।14. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संशोधन का अध्याय III, 'अधिनियम') राज्य और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। धारा 7 परिभाषाओं से संबंधित है।

एस निम्नलिखित हैः

" 7. परिभाषाएँ। इस अध्याय में,

((क) "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है -

संसद के किसी भी सदन, केंद्र सरकार और [2018] 10 एस. सी. आर. में सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्यता।

के रूप में चुने जाने या होने के लिए किसी भी अयोग्यता के संबंध में

विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य

किसी राज्य की, राज्य सरकार;

(ख) "अयोग्य" का अर्थ है के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य, और के लिए

संसद के या किसी भी सदन का सदस्य होने के नाते किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद। के तहत

इस अध्याय के प्रावधान, और किसी अन्य आधार पर नहीं।

[जोर हमारा है]

15. 'अयोग्य' शब्द स्पष्ट रूप से बताता है कि एक व्यक्ति

उक्त अध्याय के प्रावधानों के तहत सदस्य होने से बहिष्कृत

आर किसी अन्य आधार पर नहीं। 'कोई अन्य आधार नहीं' शब्द बहुत बड़े हैं।

फिकेंस। अनुच्छेद 102 (1) (ए) के तहत उल्लिखित आधारों के अलावा2 (1) (घ) और अनुच्छेद 191 (1) (क) से लेकर 191 (1) (घ) तक, अन्य आधार संसद द्वारा काटे जाते हैं और संसद ने धाराओं के तहत प्रावधान किया है।

, 9 , 9 ए, 10 और 10 ए जो इस प्रकार हैं:

(चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व का अपराध) या उप धारा 376 या धारा 376 क की धारा (1) या उप-धारा (2) या

धारा 376 बी या धारा 376 सी या धारा 376 डी (संबंधित अपराध)

पति या पति का रिश्तेदार) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) धारा 505 (कथन बनाने या बनाने का अपराध)

वर्ग या अपराध के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देना।

पूजा के किसी स्थान पर या किसी भी स्थान पर इस तरह के कथन से संबंधित धार्मिक पूजा के प्रदर्शन में लगी सभा या

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के धार्मिक समारोह; या

(ख) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22), जो

के प्रचार और अभ्यास के लिए सजा का प्रावधान करता है

" अस्पृश्यता ", और उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करने के लिए

वहाँ से; या यू. बी. एल. सी. इंटरस्ट फाउंडेशन और ओ. आर. एस.। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 (निषिद्ध वस्तुओं के आयात या निर्यात का अपराध); या

(घ) धारा 10 से 12 (गैरकानूनी घोषित किसी संगठन का सदस्य होने का अपराध, किसी संगठन के धन से संबंधित अपराध)

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित गैरकानूनी संगठन या अपराध; या

(ङ) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1973 का 46); या

(च) नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (1985 का 61); या (छ) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 (आतंकवादी कृत्य करने का अपराध) या धारा 4 (विघटनकारी गतिविधियों को करने का अपराध); या

(ज) धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) की धारा 7 (धारा 3 से 6 के प्रावधानों के उल्लंघन का अपराध); या

(i) धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केंद्रों से मतपत्र हटाने का अपराध) या धारा 135 ए (बूथ कैप्चरिंग का अपराध) या धारा 136 की उप-धारा (2) का खंड (ए)।

(इस अधिनियम के किसी भी नामांकन पत्र को धोखाधड़ी से विकृत करने या धोखाधड़ी से नष्ट करने का अपराध; या

(के) धारा 2 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (गायन को रोकने का अपराध) राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 (1971 का 69); या

(1) सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (1988 का 3); या (एम) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49); या

(एन) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15), अयोग्य ठहराया जाएगा, जहां दोषी व्यक्ति को [2018] 10 एस. सी. आर. की सजा सुनाई जाती है।

((i) केवल जुर्माना, ऐसी तारीख से छह साल की अवधि के लिए

विश्वास;

((ii) कारावास, इस तरह की दोषसिद्धि की तारीख से और छह साल की आगे की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता रहेगा।

उसकी रिहाई के बाद से।

(2) उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति

(क) जमाखोरी की रोकथाम के लिए प्रावधान करने वाला कोई कानून या

मुनाफाखोरी; या

(ख) खाद्य या मादक पदार्थों में मिलावट से संबंधित कोई कानून; या
(ग) दहेज निषेध अधिनियम, [1961 (के 28) के कोई भी प्रावधान।

1961)

(3) एक व्यक्ति जिसे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसे सजा दी गई हो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा कम से कम दो वर्ष के कारावास को इस तरह के दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा और यह जारी रहेगा।

उनकी रिहाई के बाद से छह साल की और अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

स्पष्टीकरण। इस खंड में (क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए प्रावधान करने वाली कानून" का अर्थ है कोई कानून, या कोई आदेश, नियम या अधिसूचना जिसके पास बल हो।

कानून, के लिए प्रावधान

((i) किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या निर्माण का विनियमन

वस्तु; सार्वजनिक रुचि आधार और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

((ii) मूल्य का नियंत्रण जिस पर कोई भी आवश्यक वस्तु कर सकती है। लाया या बेचा जाए;

((ग) किसी भी आवश्यक वस्तु के अधिग्रहण, अधिकार, भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, उपयोग या उपभोग का विनियमन।

वस्तु;

((iv) किसी भी आवश्यक वस्तु की बिक्री को रोकने का निषेध।

आम तौर पर बिक्री के लिए रखी गई वस्तु;

(ख) "औषधि" का वही अर्थ है जो औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में दिया गया है; (ग) "आवश्यक वस्तु" का वही अर्थ है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में दिया गया है;

(घ) "भोजन" का वही अर्थ है जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में दिया गया है।

8 ए. भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर अयोग्यता। — (1) धारा 99 के तहत एक आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मामला जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा।

ऐसा आदेश प्रभावी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, राष्ट्रपति को इस प्रश्न के निर्धारण के लिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा और यदि हां, तो किस अवधि के लिए:

बशर्ते कि वह अवधि जिसके लिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है

इस उप-धारा के तहत अयोग्य किसी भी मामले में उस तारीख से छह साल से अधिक नहीं होगा जिस दिन धारा 99 के तहत उसके संबंध में दिया गया आदेश प्रभावी होता है। (2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8 ए के तहत अयोग्य है।

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारंभ से ठीक पहले का अधिनियम, यदि ऐसी अयोग्यता की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो राष्ट्रपति को ऐसी अयोग्यता को हटाने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त अवधि का अप्रचलित भाग। (3) उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी प्रश्न पर या उप-धारा (2) के तहत प्रस्तुत किसी याचिका पर अपना निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे।

ऐसा प्रश्न या याचिका और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगी।

भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत भ्रष्टाचार के लिए या राज्य के प्रति बेवफाई के लिए बर्खास्त किया गया है, ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, चुनाव आयोग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर चुका है।

भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन, भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति बेवफाई के लिए बर्खास्त किया गया है या नहीं किया गया है, इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगाः

बशर्ते कि इस आशय का कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति बेवफाई के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। जब तक उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तब तक जारी किया जाएगा।

सरकार ने अनुबंध के अपने हिस्से का पूरी तरह या आंशिक रूप से पालन नहीं किया है। 10. सरकारी कंपनी के तहत पद के लिए अयोग्यता। एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह किसी ऐसी कंपनी या निगम (सहकारी समिति के अलावा) का प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है, जिसकी राजधानी में उपयुक्त सरकार की कम से कम पच्चीस प्रतिशत हिस्सेदारी है।

10 ए. चुनाव खर्च का लेखा दर्ज करने में विफलता के लिए अयोग्यता। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट है कि

व्यक्ति

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक समय के भीतर और तरीके से चुनाव व्यय का लेखा दर्ज करने में विफल रहा है; और

(ख) विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है, सार्वजनिक रुचि आधार और ओआरएस।

चुनाव आयोग, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उसे अयोग्य घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

आदेश "।

16. उपरोक्त से, यह समझ में आता है कि धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता से संबंधित है। धारा 8 ए प्रदान करती है

भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर अयोग्यता के लिए। धारा 9 में भ्रष्टाचार या बेवफाई के लिए बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। धारा 9 ए उस स्थिति से संबंधित है जहां व्यक्ति और उपयुक्त सरकार के बीच स्थायी अनुबंध है। धारा 10 नीचे दी गई है

सरकारी कंपनी और धारा 10 ए के तहत पद के लिए अयोग्यता

चुनाव खर्च का लेखा दर्ज करने में विफलता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। इन अयोग्यताओं के अलावा, कोई अन्य अयोग्यता नहीं है और जैसा कि ध्यान देने योग्य है, कोई अन्य आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार, विधायिका द्वारा कुछ और विशिष्ट आधारों पर अयोग्यता प्रदान की जाती है। ऐसे राज्य में विधायिका बिल्कुल विशिष्ट होती है।

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का निवेदन है कि कानून तोड़ने वालों को कानून निर्माता नहीं बनना चाहिए और संसद या राज्य विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए कोई स्वर्ग नहीं हो सकता है। विधि आयोग की सिफारिशों का संदर्भ दिया गया है जो गंभीरता से आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के प्रभुत्व वाले प्रचलित राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी की।

18. याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है और यह एक प्रलेखित और दर्ज तथ्य है

विभिन्न समिति की रिपोर्टों द्वारा। याचिकाकर्ता इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि प्रत्ययी संबंधों के सिद्धांत को कई क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।

संवैधानिक पद और यह कि यदि लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य सतर्कता आयुक्त और मुख्य सचिव सत्यनिष्ठा परीक्षण से गुजर सकते हैं और यदि "आरोप निर्धारण" को ऐसे पदों के लिए अयोग्यता के रूप में मान्यता दी गई है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के पदों पर भी "आरोप निर्धारण" की उक्त परीक्षा का विस्तार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। इस रुख को और स्पष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति संवैधानिक न्यास में पदों पर हैं और उन्हें कठोरता और बंधनों के अधीन बनाया जा सकता है क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार या अधिकार है जो संवैधानिक लोकाचार और सिद्धांतों की पुष्टि करता है।

19. याचिकाकर्ता हमारे आपराधिक कानून के तहत "निर्दोषता की धारणा" के सिद्धांत के अनुरूप हैं। लेकिन उनका मानना है कि

उक्त सिद्धांत आपराधिक कानून तक ही सीमित है और यह कि दोषसिद्धि से पहले की कोई भी कार्यवाही, जैसे कि उदाहरण के लिए आरोप तैयार करना, दंड के नागरिक दायित्व को लागू करने का आधार बन सकता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं का मानना है कि गंभीर प्रकृति के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने से अपराध नहीं होता है और यह केवल एक प्रतिबंध है जो विशिष्ट रूप से नागरिक प्रकृति का है।

20. हस्तक्षेपकर्ता संगठन ने भी याचिकाकर्ताओं के समान ही उस प्रभाव के लिए प्रस्तुतियाँ दी हैं जिस पर व्यक्तियों ने आरोप लगाया था

पाँच साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए निर्वाचित होने या अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में आरोपित व्यक्ति के रूप में संसद सदस्य सरकार के तहत नौकरी के लिए अवांछनीय है और यह असंगत है कि ऐसा व्यक्ति एक कानून निर्माता बन सकता है जो तब सिविल सेवकों और अन्य सरकारी तंत्र को नियंत्रित करता है और इस प्रकार,

विधायकों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करना अनुच्छेद का उल्लंघन है।

14 संविधान से।

21. श्री वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी, उपरोक्त निवेदन का खंडन करते हुए, आग्रह करेंगे कि संसद विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून बना सकती है, लेकिन यह न्यायालय, कानून के एक तय किए गए सिद्धांत के रूप में, एक आदेश जारी नहीं करना चाहिए

संसद एक कानून पारित करेगी और केवल सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा, श्री वेणुगोपाल प्रस्तुत करते हैं कि जब विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक कानून होते हैं, तो न्यायालय को इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए।

22. यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि न्यायालय कानून नहीं बना सकता है। जोर दें।

कठोर कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करने पर निर्धारित किया गया है। अत्यधिक चिंता के साथ, यह प्रचार किया जाता है कि जब एक खतरनाक स्थिति सामने आती है, तो उपचार आक्रामक होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने एक और रास्ता सुझाया है। लेकिन, जहां तक अयोग्यता को जोड़ने का सवाल है, संवैधानिक प्रावधान अयोग्यता को बताता है, विधायिका को शक्ति प्रदान करता है, जिसने बदले में अनिवार्य रूप से कानून बनाया है। 23. इस प्रकार, अयोग्यता के संबंध में निर्देश अधिनियम की धारा 8 से 10 ए के साथ पठित धारा 7 (बी) में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए पूरा किया गया है। यह दोपहर के दिन के रूप में स्पष्ट है और कोई अस्पष्टता नहीं है। विधायिका ने सार्वजनिक हित फाउंडेशन और ओ. आर. एस. की अयोग्यता के आधारों को बहुत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया है।

और उक्त प्रावधान की भाषा किसी भी नए आधार को जोड़ने या पेश करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है।

राजनीति का अपराधीकरण

24. हालाँकि हमने उपरोक्त पहलू का विश्लेषण किया है, फिर भी हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और कुछ अन्य लोगों के लिए इस मुद्दे को बंद नहीं कर सकते हैं।

हस्तक्षेप करने वालों ने भारी पीड़ा के साथ तर्क दिया है कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर संवैधानिक शासन में प्रगतिशील विकृति होगी और धीरे-धीरे शासन अपराधियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। समर्पण को आशावादी ईमानदारी और वास्तविक पीड़ा के साथ आगे बढ़ाया गया है। लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने और इसकी स्थायी निरंतरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सुझावों के साथ-साथ तर्क भी दिए गए हैं। उसी की सराहना करने के लिए, हम राजनीति के अपराधीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

25. संवैधानिक लोकतंत्र के युग की शुरुआत में, उन लोगों के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी जो होने वाले हैं

चुने गए। संविधान सभा के पटल पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पारित करने के लिए प्रस्ताव रखने से पहले कहा थाः

..... इसके लिए मजबूत चरित्र वाले लोगों, दूरदर्शी लोगों, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो छोटे समूहों और क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर देश के हितों का त्याग नहीं करेंगे। हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि देश ऐसे लोगों को बहुतायत में लाएगा। 4

26. संवैधानिक लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक अपने नागरिकों को एक प्रतिनिधि रूप देने और सुरक्षित करने की इसकी क्षमता है।

सरकार, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी जाती है, और जिसमें एक ऐसी राजनीति शामिल होती है जिसकी सदस्य उच्च सत्यनिष्ठा और नैतिकता वाले पुरुष और महिलाएँ हैं। इसे किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की पहचान कहा जा सकता है।

27. चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति (1990) ने राजनीति में बढ़ती आपराधिक ताकतों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया था।

हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव की रक्षा करने का आदेश। समिति ने कहा किः

प्रक्रिया को भ्रष्ट करना; राजनीति का तेजी से अपराधीकरण बूथ कैप्चरिंग, धांधली, हिंसा आदि की बुराइयों को प्रोत्साहित करना। ; दुरुपयोग

* डॉ. राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष, भारत की संविधान सभा, 26 नवंबर, 1949 [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधिकारिक तंत्र, अर्थात। आधिकारिक मीडिया और मंत्री; गैर-गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी का बढ़ता खतरा; हमारी चुनावी समस्याओं का मूल है। तत्काल सुधारात्मक उपाय समय की आवश्यकता है ताकि व्यवस्था ही ध्वस्त न हो जाए। "

28. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति का अपराधीकरण कभी भी एक अज्ञात घटना नहीं थी, लेकिन इसकी उपस्थिति 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के दौरान अपने सबसे मजबूत रूप में महसूस की गई थी, जो आपराधिक गिरोहों, पुलिस के एक फैले हुए नेटवर्क के सहयोग का परिणाम था।

और सीमा शुल्क अधिकारी और उनके राजनीतिक संरक्षक। उक्त हमलों के झटकों ने पूरे देश को हिला दिया और आक्रोश के परिणामस्वरूप, राजनीति के अपराधीकरण की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और

भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच सांठगांठ। अक्टूबर 1993 में केंद्रीय गृह सचिव एन. एन. वोहरा द्वारा प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट, वोहरा (समिति) रिपोर्ट में कई बातों का उल्लेख किया गया था।

सी. बी. आई., आई. बी., आर. एंड ए. डब्ल्यू. सहित आधिकारिक एजेंसियों द्वारा की गई टिप्पणियाँ, जिन्होंने सर्वसम्मति से आपराधिक नेटवर्क पर अपनी राय व्यक्त की जो वस्तुतः एक समानांतर सरकार चला रहा था। समिति ने भी लिया

विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारी कार्यकर्ताओं के तत्वावधान में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आपराधिक गिरोहों का नोट। समिति ने इस तथ्य के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों में कई अपराधी स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं और संसद के लिए चुने गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है:

" बड़े शहरों में, आय का मुख्य स्रोत अचल संपत्ति से संबंधित है-जबरन भूमि/भवनों पर कब्जा करना, मौजूदा निवासियों/किरायेदारों आदि को मजबूर करके सस्ती दरों पर ऐसी संपत्तियों की खरीद करना। समय के साथ, इस प्रकार अर्जित धन शक्ति का उपयोग नौकरशाहों और राजनेताओं के साथ संपर्क बनाने और दंड से मुक्त गतिविधियों के विस्तार के लिए किया जाता है। धन शक्ति का उपयोग किया जाता है

मांसपेशी-शक्ति का एक तंत्र विकसित करें जिसका उपयोग भी उनके द्वारा किया जाता है

चुनाव के दौरान राजनेता "।

और फिर से:

" आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाही और के बीच सांठगांठ

देश के विभिन्न हिस्सों में राजनेता स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली, जो अनिवार्य रूप से थी

व्यक्तिगत अपराधों/अपराधों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, माफिया की गतिविधियों से निपटने में असमर्थ है; इस संबंध में कानून के प्रावधान

आर्थिक अपराध कमजोर हैं "सार्वजनिक हित आधार और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

29. चुनाव आयोग भी 1998 से राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे पर जीवित रहा है। राजनीति के अपराधीकरण के खतरे से निपटने के लिए सुधारों का प्रस्ताव करते हुए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री टी. एस. कृष्ण मूर्ति ने इस प्रकार लिखते हुए उक्त मुद्दे पर प्रकाश डालाः

" हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के कई मामले सामने आए हैं।

चुनाव लड़ना, उनके मुकदमे को लंबित रखना और यहां तक कि बड़ी संख्या में मामलों में निर्वाचित होना। इससे कानून तोड़ने वालों के कानून निर्माता बनने और पुलिस सुरक्षा में घूमने की बहुत ही अवांछनीय और शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पांच साल या उससे अधिक समय तक किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, भले ही मुकदमा लंबित हो, बशर्ते कि उसके खिलाफ सक्षम अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हों। इस तरह का एक कदम राजनीतिक प्रतिष्ठान को शुद्ध करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा

आपराधिक तत्वों का प्रभाव और उनकी पवित्रता की रक्षा करना

विधायी सदन "5

30. दिनेश त्रिवेदी के मामले में, एम. पी. और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य अदालत ने दोषों और खामियों पर अफसोस जताया जो

देश को उन अपेक्षाओं तक पहुँचने में बाधा पहुँचाई है जिन्होंने इसकी अवधारणा की शुरुआत की। प्राथमिक कारणों में से एक की पहचान करते हुए, न्यायालय ने एन. एन. वोहरा समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया जो 5.10.1993 पर प्रस्तुत की गई थी। अदालत ने कहा कि भारतीय समाज में अपराध सिंडिकेट का विकास और प्रसार व्यापक रहा है और आपराधिक तत्वों ने कई क्षेत्रों में संपर्कों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है।

अदालत ने आगे रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाया कि रिपोर्ट कई खतरनाक और गहराई से परेशान करने वाली प्रवृत्तियों का खुलासा करती है जो हमारे वर्तमान समाज में प्रचलित हैं। अदालत ने यह भी देखा कि हमारे समाज में राजनेताओं, नौकरशाहों और आपराधिक तत्वों के बीच सांठगांठ बढ़ रही है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न पहलुओं पर तेजी से महसूस किए जा रहे हैं

भारत में सामाजिक जीवन।

31. अनुकुल चंद्र प्रधान में, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय बनाम।

भारत संघ और अन्य, न्यायालय ने चुनाव कानून में किए गए प्रावधानों के संदर्भ में कहा कि उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को इसमें निर्दिष्ट प्रकार से बाहर करने के लिए बनाया गया है।

5 HTTPS: //ईसीआई। एनआईसीजेएन/ईसीआई _ मेन/प्रस्ताव _ विद्युत _ सुधार. पी. डी. एफ. 6 (1997) 4 एस. सी. सी. 305

7 (1997) 6 एससीसी 1 [2018] 10 एस. सी. आर.

रोकने के उद्देश्य के साथ उम्मीदवारों और मतदाताओं के रूप में चुनाव दृश्य

राजनीति का अपराधीकरण और चुनावों में औचित्य बनाए रखना। इसके बाद, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि उक्त उद्देश्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से अधिनियमित किसी भी प्रावधान का स्वागत किया जाना चाहिए और इसे संवैधानिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए। 32. के. प्रभाकरण बनाम। पी. जयराजन, अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत अयोग्यता को लागू करने के संदर्भ में, अदालत ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया को प्रदूषित करते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए आपराधिकता में लिप्त होने में कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहाः

" कानून तोड़ने वालों को कानून नहीं बनाना चाहिए। आम तौर पर

अधिनियमित करके प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को बोलना

कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को राजनीति और सदन में प्रवेश करने से रोकने के लिए है-शासन की एक शक्तिशाली शाखा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया को प्रदूषित करते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है

कई धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उन्हें चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए आपराधिक कृत्यों में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है।

33. मनोज नरूला (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की पवित्रता के लिए अभिशाप है, इस प्रकार कहाः

" एक लोकतांत्रिक राजनीति, जैसा कि इसकी सर्वोत्कृष्ट शुद्धता में समझा जाता है, वैचारिक रूप से भ्रष्टाचार और विशेष रूप से उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के लिए घृणित है, और राजनीति के अपराधीकरण के विचार के लिए घृणित है क्योंकि यह सामूहिक लोकाचार की वैधता को नष्ट कर देता है, नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को विफल कर देता है और इसमें करने की क्षमता है।

कानून के शासन को बाधित करें, यदि पटरी से नहीं उतरते हैं। लोकतंत्र, जिसे लोगों की सरकार के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, संवैधानिक नैतिकता की निरंतर पुष्टि द्वारा वास्तविक व्यवस्था, सकारात्मक औचित्य, समर्पित अनुशासन और रक्तपिपासु पवित्रता की व्यापकता की अपेक्षा करता है जो संविधान का स्तंभ है।

सुशासन।

और फिर सेः -

..... प्रणालीगत भ्रष्टाचार और प्रायोजित अपराधीकरण निर्वाचित लोकतंत्र के मौलिक मूल को नष्ट कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप,

8 ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 688 यू. बी. एल. सी. इंटरस्ट फाउंडेशन एंड ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

संवैधानिक शासन। जागरूक नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई दर्दनाक चिंता, जैसा कि ऊपर उल्लिखित अधिकारियों से स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य की राजनीति निर्वाचित लोगों द्वारा संचालित सरकार द्वारा शासित होने की आशा और आकांक्षा रखती है।

आपराधिक अपराध या भ्रष्टाचार, जातिवाद से संबंधित अपराध, सामाजिक समस्याएं, राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करना और कई अन्य अपराध।

34. 15 मार्च को राज्य सभा में विभाग द्वारा प्रस्तुत 18 वीं रिपोर्ट-कुछ अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की चुनावी सुधार योग्यता पर संसदीय स्थायी समिति, लोक शिकायत, कानून और न्याय) ने स्वीकार किया किभारतीय राजनीति में आपराधिक तत्वों की ताकत जो जड़ों तक पहुँचती है

क्रेसी। समिति ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" ..... समिति हमारी राजनीति के अपराधीकरण और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लोगों के विश्वास के तेजी से क्षरण के बारे में गहराई से सचेत है। यह निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेगा और लोकतांत्रिक संस्थानों को निर्जल बना देगा। द.

इसलिए समिति को लगता है कि राजनीति को साफ किया जाना चाहिए। स्थापित आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति। इसका उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण को रोकना और चुनावों में ईमानदारी बनाए रखना है। राजनीति का अपराधीकरण समाज का अभिशाप है और इसका निषेध है

लोकतंत्र "।

35. विधि आयोग के अध्यक्ष ने "चुनावी अयोग्यता" शीर्षक से 244 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के कवर लेटर में कहा,

ई तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री को इस प्रकार बताते हुएः

1. " जबकि विधि आयोग सुझाव देने की दिशा में काम कर रहा था

चुनाव सुधारों पर सरकार को अपनी सिफारिशों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित एक आदेश पारित किया गया था

16.12.2013 लोक हित फाउंडेशन और अन्य में। बनाम भारत संघ और अन्र। , डी. ओ. सं. 4604/2011/एस. सी./पी. आई. एल. (डब्ल्यू) दिनांक 21 दिसंबर, 2013 के माध्यम से। 2. उपरोक्त आदेश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि

विधि आयोग को [2018] 10 एस. सी. आर. प्रस्तुत करने में कुछ समय लग सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चुनाव सुधारों के सभी पहलुओं पर व्यापक रिपोर्ट। तथापि, माननीय न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि "संबंधित मुद्दे

राजनीति के अपराधीकरण और झूठे हलफनामे दायर करने के लिए अयोग्यता प्राथमिकता और तत्काल विचार के योग्य है और तदनुसार विधि आयोग से "तेजी लाने" का अनुरोध किया फरवरी, 2014 के अंत तक एक रिपोर्ट देने पर विचार

दो मुद्दे, अर्थात्:
1. क्या अयोग्यता को दोषी ठहराए जाने पर शुरू किया जाना चाहिए जैसा कि आज मौजूद है या अदालत द्वारा आरोप तैयार करने पर या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर? [परामर्श पत्र का अंक सं. 3.1 (ii)], और

2. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 ए के तहत झूठे हलफनामे दाखिल करना अयोग्यता का आधार होना चाहिए? और यदि हाँ, तो किस तंत्र की आवश्यकता है शपथपत्र की सत्यता पर निर्णय के लिए प्रावधान किया जाए? [परामर्श पत्र का अंक संख्या 3.5] "

36. इसके बाद, 244 वें विधि आयोग ने चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि एक प्रतिनिधि

सरकार, लोगों से अपनी वैधता प्राप्त कर रही थी, जो थे

परम संप्रभु, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार था। समय के साथ, इसे संविधान की 'मूल संरचना' का एक हिस्सा माना गया है, जो संशोधन से मुक्त है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि यह उचित विवाद के दायरे से परे है कि क्या संविधान की कोई अपरिवर्तनीय विशेषताएं हैं।

इस आधार पर कि वे संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं, यह है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है।

37. आयोग ने प्रतिनिधि के मॉडल पर जोर दिया

लोक सम्प्रभुता पर आधारित सरकार जो अपनी संप्रभुता को जन्म देती है

नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का महत्व दो कारकों से उपजा है-साधन के रूप में, लोगों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों के चयन में इसकी केंद्रीय भूमिका, और आंतरिक रूप से, लोकप्रिय इच्छा की वैध अभिव्यक्ति के रूप में। इस पर जोर देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का महत्व, मोहिंदर सिंह गिल बनाम में निर्णय का संदर्भ दिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त 'जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया थाः

9 ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 851 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। यह एक निरंतर सहभागी ऑपरेशन है, न कि एक विनाशकारी आवधिक अभ्यास। द.

छोटा आदमी, अपनी भीड़ में, मतदान में अपने वोट को चिह्नित करते हुए, अपनी संसद और इस प्रतिनिधि की राजनीतिक पसंद का एक सामाजिक लेखा परीक्षा करता है। हालांकि सहभागी सरकार का पूर्ण फूल शायद ही कभी होता है

फूल, लोकप्रिय सरकार की न्यूनतम साख लोगों से हर कार्यकाल के बाद विश्वास के नवीनीकरण की अपील है। इसलिए हमारी संवैधानिक मजबूरियों के रूप में वयस्क मताधिकार और आम चुनाव हैं। यह मानने के लिए बहुत कम तर्क की आवश्यकता है कि संसदीय प्रणाली का केंद्र समय-समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं, हालांकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बहुत अधिक मांग कर सकता है।

38. आयोग ने हद तक संबंधित मुद्दे को संबोधित किया

राजनीति में अपराधीकरण और श्री सी. राजगोपालाचारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया, जिन्होंने 1922 में स्वतंत्रता से पच्चीस साल पहले वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाया था, जब उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा थाः

" चुनाव और उनका भ्रष्टाचार, अन्याय और धन का अत्याचार और प्रशासन की अक्षमता जल्द ही जीवन को नरक बना देगी।

जैसा कि हमें स्वतंत्रता दी गई है।

39. आयोग ने यह भी पाया कि सांठगांठ की प्रकृति 1970 के दशक में बदल गई और राजनेताओं के आपराधिक नेटवर्क से संदिग्ध संबंध होने के बजाय, जैसा कि पहले मामला था, यह व्यापक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया और यह तथ्य था

1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट में और फिर 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई। आयोग ने भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 1 0 10 जिसने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण संभव बनाया था और आयोग के अनुसार, जनता को पिछली रिपोर्ट में की गई ऐसी टिप्पणियों की वैधता का मात्रात्मक मूल्यांकन करने का मौका दिया था।

40. भारतीय राजनीति में व्याप्त अपराधीकरण की सीमा के अनुसार, आयोग ने पाया कि 2004 के बाद के दस वर्षों में, राष्ट्रीय या राज्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 18 प्रतिशत ने

उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले (62,847 में से 11,063)। 5, 253 में या

10 (2002) 5 एस. सी. सी. 294 [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इनमें से लगभग आधे मामले (विश्लेषण किए गए कुल उम्मीदवारों में से 8.4 प्रतिशत), आरोप गंभीर आपराधिक अपराधों के हैं जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध निवारण अधिनियम के तहत मामले शामिल हैं।

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 या महाराष्ट्र संगठित नियंत्रण के तहत

अपराध अधिनियम, 1999, जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर पांच साल या उससे अधिक की जेल आदि होगी। 152 उम्मीदवारों के खिलाफ 10 या उससे अधिक गंभीर मामले लंबित थे, 14 उम्मीदवारों के खिलाफ 40 या उससे अधिक मामले थे और 5 उम्मीदवारों के खिलाफ 50 या उससे अधिक मामले थे। इसके अलावा, आयोग ने पाया कि गंभीर मामलों वाले 5,253 उम्मीदवारों के खिलाफ कुल मिलाकर 13,984 गंभीर आरोप थे और इनमें से 31 प्रतिशत हत्या और अन्य हत्या से संबंधित अपराधों के मामले थे, 4 प्रतिशत बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले थे।

2004 से 2013 तक विश्लेषण किए गए 8,882 विजेताओं में से चुनाव जीतने के लिए, यानी 13.5% और कुल मिलाकर, जिसमें गंभीर और गैर दोनों शामिल हैं। गंभीर आरोप, 2,497 (विजेताओं में से 28.4%) के खिलाफ 9,993 आपराधिक मामले लंबित थे।

आपराधिक मामले और इसके अलावा, समय के साथ लंबित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि 2004 में 24 प्रतिशत लोकसभा सांसदों के आपराधिक मामले लंबित थे जो 2009 के चुनावों में बढ़कर 30 प्रतिशत हो गए और यह स्थिति राज्यों में 31 प्रतिशत या 4,032 मौजूदा विधायकों में से 1,258 के साथ समान है, जिनमें से लगभग आधे गंभीर मामले हैं। इतना ही नहीं, आयोग ने यह भी पाया कि कुछ राज्यों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायकों का प्रतिशत बहुत अधिक हैः उत्तर प्रदेश में 47 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और इनमें से कई सांसदों और विधायकों पर आपराधिक आरोपों के कई मामले दर्ज हैं, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र में विधायक के खिलाफ 14 मामलों सहित 36 आपराधिक मामले लंबित हैं। हत्या से संबंधित। आयोग के अनुसार, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में संसद और राज्य विधानसभा स्तर पर निर्वाचित उम्मीदवारों में से लगभग एक-तिहाई पर किसी न किसी प्रकार का आपराधिक दाग है और यह भी कि सार्वजनिक हित आधार और ओआरएस।

अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि एक-पाँचवें विधायक के पास लंबित मामले हैं जो उनके चुनाव के समय अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के चरण तक आगे बढ़ गए हैं। आयोग ने जो बात अधिक परेशान करने वाली पाई, वह यह थी कि लंबित आपराधिक मामलों के विजेताओं का प्रतिशत ऐसी पृष्ठभूमि के बिना उम्मीदवारों के प्रतिशत से अधिक है, क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि औसतन केवल 12 प्रतिशत उम्मीदवार "स्पष्ट" रिकॉर्ड के साथ जीतते हैं, जबकि 23 प्रतिशत उम्मीदवार किसी न किसी प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड के साथ जीतते हैं, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार

एक अपराध के लिए आरोपित वास्तव में चुनावों में 'स्वच्छ' से बेहतर प्रदर्शन करते हैं

उम्मीदवार। आयोग के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को दूसरी बार टिकट दिए जाने की प्रवृत्ति है और न केवल राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करते हैं, बल्कि यह सुझाव देने के लिए भी सबूत हैं कि बेदाग प्रतिनिधि बाद में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और इस प्रकार, राजनीति के अपराधीकरण की घटनाएं व्यापक हैं, जिससे इसके सुधार की तत्काल आवश्यकता हो जाती है। 42. व्यापक संपर्क ने कई तरह से राजनीतिक दलों को परेशान किया और इसने विधि आयोग को अपनी भूमिका का वर्णन करने के लिए मजबूर किया।

राजनीतिक दल। इसमें कहा गया हैः

" राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र की एक केंद्रीय संस्था हैं; "पूरी संवैधानिक योजना का जीवन रक्त"। राजनीतिक दल एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं जिसके माध्यम से संसद में लोगों के हितों और मुद्दों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। चूंकि राजनीतिक दल निजी नागरिकों और सार्वजनिक जीवन के बीच संपर्क में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बढ़ते अपराधीकरण के लिए भी मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे हैं

राजनीति "।

43. इसके बाद, 170 वीं रिपोर्ट की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया, जिसे सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम में भी उद्धृत किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य "केंद्रीय सूचना द्वारा आयोग (सी. आई. सी.)। उक्त टिप्पणियां हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की स्थिति का वर्णन करने के लिए बहुत उपयुक्त हैंः

" राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, संसद का संचालन करते हैं और देश का शासन चलाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के कामकाज में आंतरिक लोकतंत्र, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही लाना आवश्यक है। एक राजनीतिक दल जो अपने आंतरिक रूप में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता है

11 (2013) सी. आई. सी. 8047 [2018] 10 एस. सी. आर.

देश का शासन। यह आंतरिक तानाशाही नहीं हो सकती। और बाहर अपने कामकाज में लोकतांत्रिक।

एक्स

एक्स

एक्स

भारतीय लोकतंत्र में केंद्रीय भूमिका। इसलिए, एक राजनेता हो सकता है विधायक होने के लिए अयोग्य, लेकिन उच्च पद पर बने रहना जारी रख सकते हैं

उनकी पार्टी के भीतर पदों, इस प्रकार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी है सार्वजनिक भूमिका जिसके लिए उन्हें कानून द्वारा अयोग्य माना गया है।

दोषी ठहराए गए राजनेता कानून निर्माण को प्रभावित करना जारी रख सकते हैं पार्टी को नियंत्रित करना और विधायिका में छद्म उम्मीदवारों को मैदान में उतारना।

एक लोकतंत्र में अनिवार्य रूप से दलों द्वारा नियंत्रित किए जाने पर आधारित

यह विधायिकाओं की शुद्धता से बहुत आगे तक फैला हुआ है और शुद्धता को शामिल करता है। राजनीतिक दलों को भी।

..... यह सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए

किसी व्यक्ति को किसी भी पद पर बने रहने के लिए नियुक्त या अनुमति देना। पार्टी संगठन के भीतर यदि व्यक्ति को माना गया है

सार्वजनिक अधिकारी होने के लिए आवश्यक गुणों का अभाव है। इसलिए, कानूनी अयोग्यताएँ जो किसी व्यक्ति को पद धारण करने से रोकती हैं

पार्टी के बाहर पार्टी के भीतर भी काम करना चाहिए। 44. मौजूदा कानूनी ढांचे पर टिप्पणी करते हुए, इसने राय दी कि

कानूनी रूप से, राजनीति में अपराधियों के प्रवेश की रोकथाम कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित करके की जाती है जो किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या संसद या विधानसभा में एक सीट पर कब्जा करने से रोकेंगे।

और वर्तमान में, संसद सदस्यों की योग्यताएँ सूचीबद्ध हैं - संविधान का अनुच्छेद 84, जबकि अयोग्यताएं पाई जा सकती हैं

अनुच्छेद 102 के तहत। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 173 और 191 में पाए जाते हैं।

45. विधि आयोग ने एसोसिएशन में निर्णयों को नोट किया

डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ऊपर), लिली थॉमस (ऊपर) और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ 1 2 2 और, सुधारों की सिफारिश करने वाली पिछली रिपोर्टों का उल्लेख करने के बाद, सिफारिश कीः

12 (2003) 4 एस. सी. सी. 399 सार्वजनिक रुचि आधार और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" जानकारी को जानबूझकर छिपाने या गलत जानकारी देने के खतरे से निपटने और मतदाताओं के सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए, आयोग ने सिफारिश की कि आर. पी. ए. की धारा 125 ए के तहत सजा को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के कारावास और जुर्माने के लिए वैकल्पिक खंड को समाप्त करने का प्रावधान। इसके अतिरिक्त, आर. पी. ए. की धारा 125 ए के तहत दोषसिद्धि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8 (1) (i) का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

46. इसके अलावा, आयोग ने आपराधिक मामलों में संशोधनों पर न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया

कानून (2013), जिसमें आई. पी. सी. के तहत 'जघन्य' अपराधों की श्रेणी के अनुरूप अपराधों की गणना करने वाले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अनुसूची I को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था और उक्त अधिनियम में भी इसकी सिफारिश की गई थी।

रिपोर्ट करें कि आर. पी. अधिनियम की धारा 8 (1) को अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित अनुसूची 1 में सूचीबद्ध अपराधों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाए, और यह, बदले में, यह प्रावधान करेगा कि एक व्यक्ति जिसके कार्यों या चूक के संबंध में एक अदालत

सक्षम क्षेत्राधिकार ने Cr.PC की धारा 190 (1) (a), (b) या (c) के तहत संज्ञान लिया है या जिसे प्रस्तावित में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

धारा 8 (1) के तहत अपराधों की विस्तारित सूची को, जैसा भी मामला हो, संज्ञान लेने या दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा। आयोग ने उक्त रिपोर्ट में किए गए प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जो इस आशय का था कि दोषसिद्धि के मामले में अयोग्यता दोषसिद्धि के बाद रिहाई की तारीख से छह साल की और अवधि के लिए जारी रहेगी और बरी होने की स्थिति में अयोग्यता संज्ञान लेने की तारीख से बरी होने की तारीख तक काम करेगी।

47. आरोप तय करने के चरण में अयोग्यता लागू करने के लिए आयोग द्वारा दिया गया तर्क निम्नलिखित प्रभाव का थाः

" शुरुआत में, जिस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अयोग्यता को केवल दोषसिद्धि के चरण में ही जारी रखा जाना चाहिए जैसा कि वर्तमान में आर. पी. ए. की धारा 8 के तहत मामला है। जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, वर्तमान कानून तीन मुख्य समस्याओं से ग्रस्त है। समस्याएंः मौजूदा सांसदों और विधायकों के बीच दोषसिद्धि की दर बहुत कम है, ऐसे व्यक्तियों के मुकदमों में लंबी देरी होती है, और कानून राजनीतिक दलों [2018] को पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है।

आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को टिकट देना। यह है इसके परिणामस्वरूप राजनीति में आपराधिक तत्वों की उपस्थिति में भारी वृद्धि हुई, जो हमारे लोकतंत्र को बहुत स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है।

48. इसके बाद, आयोग ने अपने सुधार प्रस्ताव में कहा कि आरोप पत्र तैयार करने का चरण अयोग्यता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण क्यों नहीं होगा। आयोग ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" आरोप-पत्र दाखिल करते समय, पुलिस केवल जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को अदालत के लिए एक सक्षम न्यायालय को भेज रही है ताकि यह विचार किया जा सके कि अभियुक्त पर किन प्रावधानों के तहत आरोप लगाया जाना चाहिए। इस स्तर पर, न्यायालय द्वारा अभियुक्त के अपराध का दूरस्थ या प्रथम दृष्टया निर्धारण भी नहीं है। आरोप-पत्र दाखिल करने या न्यायालय को अग्रेषित करने के चरण में, जिस सामग्री को आरोप-पत्र का हिस्सा बनाया गया है, उसका किसी सक्षम न्यायालय द्वारा परीक्षण भी नहीं किया गया है और न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से उक्त सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। अदालतों ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप पत्र साक्ष्य का एक ठोस टुकड़ा नहीं है क्योंकि इसका अभी तक जिरह के आधार पर परीक्षण नहीं किया गया है। इस स्तर पर अभियुक्त को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। आरोप-पत्र दाखिल करने के चरण में, समन जारी होने से पहले, अभियुक्त के पास इसकी प्रति भी नहीं होती है

चार्ज शीट या कोई जुड़ी हुई सामग्री।

इसलिए किसी व्यक्ति को केवल उस चीज़ के आधार पर अयोग्य घोषित करना, जिस पर उसे गौर करने का कोई अवसर नहीं मिला है या जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

कि यह अयोग्यता के लिए एक अनुचित चरण था निर्वाचित पद के लिए उम्मीदवार "।

49. आयोग ने तब महसूस किया कि संज्ञान लेने के चरण पर चर्चा करना एक अनुचित चरण होगा और इस संबंध में आयोग ने कहा कि संज्ञान के जी का मतलब केवल किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेना हैसार्वजनिक हित फाउंडेशन और ओ. आर. एस. के प्रति कथित ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने का दृष्टिकोण।

किसी के द्वारा किया गया है और यह किसी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से पूरी तरह से अलग मामला है; बल्कि, यह एक

कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए पूर्व शर्त। आयोग का विचार था कि संज्ञान लेते समय न्यायालय को केवल इन पर विचार करना होगा -

आरोप-पत्र में रखी गई सामग्री और इस स्तर पर न्यायालय के लिए सबूतों की छान-बीन या सराहना करना और इस निष्कर्ष पर पहुंचना खुला नहीं है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, संज्ञान लेने के स्तर पर, अभियुक्त को कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने या कोई प्रस्तुति देने का कोई अधिकार नहीं है और भले ही

अभियुक्त पुलिस को दंडात्मक साक्ष्य प्रदान कर सकता है, बाद वाला आरोप-पत्र के हिस्से के रूप में ऐसे साक्ष्य को शामिल करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप पत्र दाखिल करने के चरण पत्र या संज्ञान लेना अनुचित होगा और इस प्रकार देखा जाएगाः

दाखिल किए गए आरोपों के कारण अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। इन कारणों से, यह हमारा विचार है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर करना या संज्ञान लेना चुनावी अयोग्यता लागू करने के लिए एक उचित चरण नहीं है।

50. इसके बाद, आयोग इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ा कि आरोप तय करना अयोग्यता के लिए एक उपयुक्त चरण क्यों है। इसने इस पहलू पर निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

" सुप्रीम कोर्ट ने सतीश मेहरा को दरकिनार करते हुए देवेंद्र नाथ पाधी मामले में कहा कि आरोपी आरोप लगाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता है

स्टेज। इस प्रकार, न्यायाधीश का निर्णय पूरी तरह से मामले के रिकॉर्ड, यानी जांच रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि आरोप तय करने का निर्धारण मामले के अभिलेख पर आधारित है, धारा 227 पर उच्चतम न्यायालय का न्यायशास्त्र भी कुछ बोझ लगाता है -

अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपमुक्तः

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यदि वह साक्ष्य जिसे अभियोजक साबित करने के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है

अभियुक्त का अपराध भले ही प्रतिपरीक्षा में चुनौती दिए जाने या बचाव पक्ष के साक्ष्य द्वारा खंडन किए जाने से पहले पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो; यदि कोई हो,

यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा।

51. आयोग का विचार था कि इसके अतिरिक्त, आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष पर बोझ में एक प्रथम दृष्टया मामले को साबित करना भी शामिल है और महाराष्ट्र राज्य बनाम में निर्णय के अनुसार। सोमनाथ थापा 1 3, एक प्रथम दृष्टया मामला अस्तित्व में है "यदि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है"। इसके अलावा, आयोग ने कहा कि एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए, रिकॉर्ड पर साक्ष्य को न केवल दोषसिद्धि की संभावना के संबंध में कुछ संदेह पैदा करना चाहिए, बल्कि एक "गंभीर" संदेह पैदा करना चाहिए और अपने विचार की पुष्टि करने के लिए, आयोग ने भारत संघ बनाम में टिप्पणियों का उल्लेख किया। प्रफुल्ल कुमार सामल 1 4 जो निम्नलिखित प्रभाव से थेः

" यदि दो विचार संभव हैं और न्यायाधीश का समाधान हो जाता है कि उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य से आरोपी के खिलाफ कुछ संदेह पैदा होता है लेकिन गंभीर संदेह नहीं होता है, तो वह पूरी तरह से आरोपी को आरोपमुक्त करने के अपने अधिकार के भीतर होगा।

52. इस तरह के विश्लेषण के बाद, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि आरोप तय करने का चरण न्यायिक व्यवस्था के पर्याप्त स्तर पर आधारित है

जांच, एक पूरी तरह से तुच्छ आरोप इस तरह की जांच में खड़ा नहीं होगा और इसलिए, भारत में राजनीति के अपराधीकरण की चिंता को देखते हुए, आरोप तैयार करने के चरण में अयोग्यता उचित है दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त परिचर कानूनी सुरक्षा उपाय। आयोग ने निम्नलिखित आधारों पर उक्त दृष्टिकोण का समर्थन कियाः

" जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के लिए न्यायिक दिमाग के उपयोग की आवश्यकता होती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या

अभियुक्तक विरुद्ध कार्यवाही करबाक लेल पर्याप्त आधार। इसके अलावा, इस स्तर पर सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है जिसे एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए जहां रिकॉर्ड पर साक्ष्य 'गंभीर संदेह' पैदा करता है। एक साथ, ये परीक्षण सुरक्षा प्रदान करते हैं

झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

13 1 3 (1996) 4 एस. सी. सी 659

14 (1979) 3 एस. सी. सी. 4 सार्वजनिक रुचि आधार और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

आरोप तय करने के चरण में बनाए गए सुरक्षा उपायों के अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के रूप में एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध है। धारा 311 न्यायालय को मुकदमे के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को बुलाने या जांच करने की शक्ति प्रदान करती है यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। हालाँकि इस धारा का बहुत व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ आगाह किया है, यह न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है जिसका स्वतः भी उपयोग किया जा सकता है। इस धारा का उपयोग न्यायालय द्वारा आरोप तय करने से पहले अतिरिक्त साक्ष्य की जांच करने के लिए किया जा सकता है जहां इस तरह के गठन का परिणाम उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है। इसलिए आरोप तय करना मुकदमे की प्रक्रिया में एक स्वचालित कदम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के प्रारंभिक स्तर की आवश्यकता होती है।

जाँच करें। सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों में आरोप तय करने से पहले आपराधिक आरोप के गुण-दोष पर पर्याप्त विचार करने की आवश्यकता होती है।

अदालत। आरोप तय करने से पहले आवश्यक जांच का स्तर

किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप

चुनाव लड़ने से अयोग्यता।

इसके अलावा कुछ अपराधों में आरोप तय करने के चरण को शामिल करने के लिए अयोग्यताओं का दायरा बढ़ाना उम्मीदवार के किसी भी मौलिक या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आर. पी. ए. संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने और चुने जाने के अधिकार का निर्माण और विनियमन करता है। हमारे लोकतंत्र के शुरुआती वर्षों से, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्वाचित होने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है

न ही कोई सामान्य कानून अधिकार। यह कानून द्वारा बनाया गया एक विशेष अधिकार है और इसका प्रयोग केवल कानून द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जा सकता है।

कानून। इसलिए यह मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है।

संविधान का अध्याय "।

53. तीन चिंताओं को संबोधित करते हुए, अर्थात्, दुरुपयोग, अभियुक्त के लिए अधिकार की कमी और आपराधिक न्यायशास्त्र की पवित्रता,

मिशन ने कहा कि इनमें से कोई भी चिंता पर्याप्त नहीं है

यद्यपि दुरुपयोग निश्चित रूप से एक संभावना है, फिर भी यह सीमित रूप से त्रुटिपूर्ण कानून में सुधार के लिए स्थिति प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार वैधानिक शक्ति निहित [2018] 10 एस. सी. आर. के संदर्भ में इंगित किया है।

प्राधिकरण कि शक्ति के दुरुपयोग की संभावना शक्ति को हस्तांतरित करने या ऐसे प्रावधान को समाप्त करने का कारण नहीं है। यह देखा गयाः

" इसी तरह दुरुपयोग का एक संभावित डर कानून में सुधार नहीं करने के लिए औचित्य प्रदान नहीं कर सकता है। यह शर्तों को सीमित करते हुए कुछ सुरक्षा उपायों को स्थापित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।

जिसके तहत ऐसी अयोग्यता काम करेगी। हालाँकि यह विचार है कि अभियुक्त के पास आरोप तय करने के चरण में सीमित अधिकार हैं, लेकिन उसके लिए उपलब्ध कानूनी विकल्प काफी पर्याप्त हैं। जैसा कि पिछली धारा से पता चलता है, शुल्क तय करने का चरण इसमें न्यायिक दिमाग का काफी उपयोग शामिल है, अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देता है, प्रथम दृष्टया मामले को प्रदर्शित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर सबूत का बोझ डालता है और जब तक कि मामले को मुकदमे में आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किए गए आधार पर्याप्त नहीं हैं, तब तक आरोपमुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि अभियुक्त के पास आरोप तय होने तक कोई उपाय नहीं है-इसके विपरीत, उसके पास कई कानूनी मामले हैं।

इस चरण से पहले उसके लिए उपलब्ध विकल्प। अंत में, हालांकि आपराधिक न्यायशास्त्र एक व्यक्ति को निर्दोष मानता है

जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना

आरोप तय करने के चरण में चुनाव इस प्रस्ताव का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस तरह के प्रावधान का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या वास्तव में संबंधित व्यक्ति कथित अपराध का दोषी है या नहीं। इसके विपरीत, यह एक विशिष्ट कानूनी निर्धारण का प्रतिनिधित्व करता है

ऐसे व्यक्तियों के प्रकार जो भारत में प्रतिनिधि सार्वजनिक पद धारण करने के लिए उपयुक्त हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं में आपराधिक तत्वों के प्रसार को देखते हुए, यह इस स्थिति को सुधारने के सार्वजनिक संकल्प का संकेत है। इसके अलावा, मौजूदा प्रावधान जो अकेले दोषसिद्धि पर व्यक्तियों को अयोग्य ठहराते हैं, वे हासिल करने में असमर्थ रहे हैं

इस कार्य को। इस प्रकार अब यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि उन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करना आवश्यक है जिनके खिलाफ सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जो कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन हैं, चुनाव लड़ने से। प्रतिनिधि पद के लिए उपयुक्तता के इस तरह के निर्धारण का उसके अपराध या निर्दोषता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

जिसका न्याय केवल आपराधिक मुकदमे में ही किया जा सकता है और किया जाएगा। दोनों को मिलाने के लिए और इस तरह तर्क दें कि सुझाए गए सुधार है

न्यायशास्त्र की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण श्रेणी गलती करना होगा।

54. हालाँकि, आयोग ने अयोग्यता को सीमित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया जो केवल कुछ मामलों, यू. बी. एल. आई. एफ. फाउंडेशन और ओ. आर. एस. में काम करते हैं।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]कट-ऑफ अवधि और प्रयोज्यता की अवधि। रिपोर्ट में दिए गए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के कारण इस प्रकार हैंः

" ..... उन अपराधों को सीमित करना जिन पर यह अयोग्यता लागू होती है इसके दो स्पष्ट कारण हैं, अर्थात् वे अपराध जो ऐसी प्रकृति के हैं।

कि जिन पर आरोप लगाया गया है वे लोगों के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं संसद या राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधि शामिल हैं।

और सूची को दुरुपयोग को रोकने के लिए इष्टतम रूप से सीमित किया गया है

अधिकतम संभव सीमा।

..... ऐसे सभी अपराध जिनके लिए अधिकतम पांच साल की सजा हो।

या अधिक को इस प्रावधान के प्रेषण में शामिल किया जाना चाहिए।

तीन औचित्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैंः सबसे पहले, सभी अपराध व्यापक रूप से

गंभीर के रूप में मान्यता प्राप्त इस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। इसमें शामिल हैं -

हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार के प्रावधान

जो उन पर आरोप लगाने वालों को रखने के लिए अयोग्य ठहराए जाने को उचित ठहराता है सार्वजनिक कार्यालय। दूसरा, ऊपर निकाला गया डेटा दर्शाता है कि

अयोग्य घोषित किए जाने से एक महत्वपूर्ण प्रणालीगत प्रभाव पैदा होता है। तीसरा, इसमें एक मानक पाँच निर्धारित करके सरलता का लाभ है।

वर्ष की अवधि, प्रावधान समान है और विशिष्ट पर आकस्मिक नहीं है

उद्देश्य-महत्वपूर्ण रूप से आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकना संसद और राज्य विधानमंडल।

" 9 .

55. कट-ऑफ को परिभाषित करने की सुरक्षा निर्धारित करने के संबंध में

घ, आयोग ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" एक आशंका जताई गई थी कि इस तरह की शुरुआत अयोग्यता के कारण झूठे मामलों की बाढ़ आ जाएगी जिनमें आरोप लगाए जाते हैं

एकमात्र के साथ चुनाव से तुरंत पहले तैयार किया जा सकता है किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का इरादा। इसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है।

नामांकन की जांच की तारीख से पहले एक कट-ऑफ अवधि द्वारा

एक चुनाव, किस अवधि के दौरान दायर किए गए आरोप, आकर्षित नहीं करेंगे अयोग्यता। इस भेद का आधार स्पष्ट है-इसे रोकने के लिए

राजनीतिक उम्मीदवारों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

एक्स

एक्स

..... कट-ऑफ अवधि नामांकन की जांच की तारीख से एक वर्ष होनी चाहिए, यानी एक वर्ष की अवधि के दौरान दायर किए गए आरोपों से अयोग्यता नहीं होगी। हम महसूस करते हैं कि एक साल एक है

उचित समय-सीमा। यह काफी लंबा है ताकि झूठे आरोप जो विशेष रूप से उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए दायर किए जा सकते हैं, वे नहीं होंगे।

इस तरह की अयोग्यता की ओर ले जाता है; साथ ही यह अत्यधिक लंबा नहीं है जो इस तरह की अयोग्यता को निरर्थक बना देता। इस प्रकार यह प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कम से कम एक वर्ष की अवधि में छुट्टी देने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह एक उचित संतुलन बनाता है।

अयोग्यता के दायरे को बढ़ाने के बीच जबकि एक ही समय में केवल झूठे मामले दर्ज करने के लिए हतोत्साहित करना चाहता है इंजीनियर की अयोग्यता का दृष्टिकोण "।

56. प्रयोज्यता की अवधि के रूप में एक और सुरक्षा थी

आयोग द्वारा प्रस्तावित जो एक समय अवधि निर्धारित करता है याजिसके लिए उक्त अयोग्यता लागू होती है। यह निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" धारा 8 (1) के तहत दोषसिद्धि के लिए एक व्यक्ति को दोषसिद्धि से छह साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि उसे केवल जुर्माने या कारावास की अवधि के लिए दंडित किया जाता है, इसके अलावा उसकी रिहाई की तारीख से शुरू होने वाले छह साल के लिए। धारा 8 (2) और 8 (3) के तहत दोषसिद्धि के लिए उसे केवल अपने कारावास की अवधि और रिहाई की तारीख से शुरू होने वाले छह साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। यह देखते हुए कि

दोषसिद्धि पर अयोग्यताओं की एक समय अवधि निर्दिष्ट होती है, यह विसंगत होगा यदि आरोप तय करने पर अयोग्यता को ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अनिश्चित काल के लिए लागू किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक समय अवधि निर्दिष्ट की जाए।

57. समय अवधि निर्धारित करने के लिए उपरोक्त तर्क दिया गया था

निम्नलिखित शब्दों मेंः

" ..... 170 न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में विधि आयोग। इस रिपोर्ट में अयोग्यता की निर्दिष्ट अवधि को आरोप तय करने या बरी होने की तारीख से पांच साल, जो भी पहले हो, होने का सुझाव दिया गया था।

..... हम इस प्रस्ताव में बहुत योग्यता पाते हैं। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिपोर्ट में चुनाव से पहले एक कट-ऑफ अवधि की सिफारिश नहीं की गई थी, एक आरोप जिसके दौरान बनाया गया था अयोग्यता। इस प्रकार पाँच साल की अवधि के पीछे का तर्क था

कि आरोपित व्यक्ति को कम से कम अयोग्य ठहराया जाएगा एक चुनाव लड़ें।

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

उसे चुनाव से छह महीने पहले, फिर वह अयोग्य नहीं ठहराएगा इस चुनाव से क्योंकि यह संरक्षित खिड़की के भीतर है। में।

उसी समय, यह मानते हुए कि अगला चुनाव पाँच साल बाद है

(जो एक मानक धारणा है) तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा दूसरे चुनाव से भी क्योंकि पाँच साल बाद

तब तक प्रभार तय करने की तारीख समाप्त हो चुकी होगी। लेने के लिए

इस कटौती अवधि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार इसकी अनुशंसा की जाती है

कि अयोग्यता की अवधि को छह साल तक बढ़ा दिया गया है

आरोप तय करने या बरी करने की तारीख, जो भी पहले हो।

इस सिफारिश का तर्क स्पष्ट हैः अगर कोई व्यक्ति

बरी, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अयोग्यता को हटा दिया गया है

तिथि. यदि वह नहीं है, और मुकदमा जारी है, तो छह साल

अवधि दो कारणों से उपयुक्त है-पहला, यह काफी लंबा है

यह सुनिश्चित करें कि अयोग्यता का विस्तारित दायरा पर्याप्त है निवारक प्रभाव। छह साल की अवधि कम से कम यह सुनिश्चित करेगी कि

व्यक्ति को एक चुनाव चक्र से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिससे वह सेवा कर रहा होगा।

राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक वास्तविक सुरक्षा के रूप में। साथ ही

कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाता है, जो इस तरह के प्रावधान हैं इसकी तुलना की जा सकती है। इस प्रकार इसमें एकरूपता का अतिरिक्त गुण है। के लिए

इन कारणों से, यह अनुशंसा की जाती है कि शुल्क की स्थिति में एक के खिलाफ गणना किए गए अपराधों के संबंध में तैयार किया जा रहा है

व्यक्ति, वह एक के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा

प्रभार तय होने की तारीख से छह साल की अवधि या तब तक

दोषमुक्ति जो भी पहले हो, बशर्ते कि आरोप नहीं है

चुनाव से पहले संरक्षित खिड़की के भीतर तैयार किया गया था।

58. द्वारा अंतिम सिफारिशें और प्रस्तावित धाराएँ

आयोग इस प्रकार हैः

" 1. एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

2. धारा 173 Cr.PC के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल करना नहीं है।

चुनावी अयोग्यताओं को लागू करने के लिए एक उपयुक्त चरण

इस स्तर पर न्यायिक दिमाग के पर्याप्त अनुप्रयोग की कमी।

3. शुल्क तय करने का चरण पर्याप्त स्तरों पर आधारित है -

न्यायिक जांच, और आरोप लगाने के चरण में अयोग्यता, यदि

[2018] 10 एस. सी. आर. को रोकने के लिए पर्याप्त परिचर कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ।

दुरुपयोग, राजनीति के अपराधीकरण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण क्षमता रखता है।

4. दुरुपयोग की संभावना, अभियुक्त के लिए उपचार की कमी की चिंता और अभियुक्त की पवित्रता के कारण आरोप तय करने के लिए अयोग्यता में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए।

आपराधिक न्यायशास्त्रः

आई. केवल ऐसे अपराध जिनके लिए अधिकतम पाँच की सजा हो

वर्ष या उससे अधिक को इसके प्रेषण में शामिल किया जाना चाहिए। प्रावधान।

ii. जांच की तारीख से एक साल पहले तक दायर किए गए आरोप

चुनाव के लिए नामांकन से अयोग्यता नहीं होगी।

iii. अयोग्यता सुनवाई द्वारा बरी होने तक काम करेगी।

न्यायालय, या छह साल की अवधि के लिए, जो भी पहले हो।

iv. मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए, मुकदमे

इसमें तेजी लाई जानी चाहिए ताकि वे दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किए जाएं और 1 साल की अवधि के भीतर समाप्त हो जाएं। यदि मुकदमा एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो निम्नलिखित परिणामों में से एक होना चाहिएः

सांसद/विधायक को उसकी अवधि समाप्त होने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।

वर्ष की अवधि; या

- सांसद/विधायक का सदस्य के रूप में सदन में मतदान करने का अधिकार, पारिश्रमिक और उनके कार्यालय से जुड़े अन्य अनुलाभ

एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निलंबित किया जाए।

5. उपरोक्त तरीके से अयोग्यता पूर्वव्यापी रूप से भी लागू होनी चाहिए। कानून लागू होने की तारीख से लंबित (5 साल या उससे अधिक दंडनीय) आरोपों वाले व्यक्तियों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे आरोप नामांकन पत्रों की जांच की तारीख से एक साल से भी कम समय पहले तैयार नहीं किए जाते हैं।

चुनाव के लिए या व्यक्ति अधिनियम के अधिनियमन के समय एक मौजूदा सांसद/विधायक है। इस तरह की अयोग्यता इस बात की परवाह किए बिना होनी चाहिए कि आरोप कब लगाया गया था।

एक्स

एक्स

1. पर्याप्त कानूनी परिणामों की कमी के कारण उम्मीदवार के हलफनामों पर बड़े पैमाने पर कानूनों का उल्लंघन होता है। परिणामस्वरूप, आर. पी. ए. में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाने चाहिएः

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

गलत शपथ पत्र दाखिल करने के अपराध पर आर. पी. ए. अधिनियम की धारा 125 ए के तहत

ii. आर. पी. ए. की धारा 8 (1) के तहत अयोग्यता के आधार के रूप में धारा 125 ए के तहत दोषसिद्धि को शामिल करें।

iii. झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के अपराध को भ्रष्ट के रूप में शामिल करें।

आर. पी. ए. की धारा 123 के तहत अभ्यास।

2. चूँकि धारा 125 ए के तहत दोषसिद्धि आवश्यक है धारा 8 के तहत अयोग्यता शुरू करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश देते हुए खुशी हो सकती है कि धारा 125 ए के तहत सभी मुकदमों में, संबंधित अदालत दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा संचालित करे

3. अंतिम तिथि के बीच एक सप्ताह का अंतराल रखा जाना चाहिए। नामांकन पत्र दाखिल करने और जांच की तारीख, नामांकन पत्रों पर आपत्तियां दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए।

59. प्रस्तावित संशोधन के लिए उपरोक्त सिफारिशें

एक सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून के रूप में कभी भी दिन की रोशनी नहीं देखी गई, लेकिन यह समाज की चिंता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है

राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति जिसमें संवैधानिक लोकतंत्र की रीढ़ को कंपित करने की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति है। 60. विधि आयोग की रिपोर्ट के प्रासंगिक पहलुओं और उसके प्रति दिखाई गई उदासीनता के बारे में बताते हुए, याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चुनाव आयोग को कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं ताकि लोकतंत्र की शुद्धता को मजबूत किया जा सके। उनके द्वारा आग्रह किया जाता है कि जब चुनाव आयोग

चुनावों की निगरानी करने की शक्ति प्रदान की गई है, यह आपराधिक उम्मीदवारों को प्रोत्साहित नहीं करके एक राजनीतिक दल के पार्टी अनुशासन को नियंत्रित कर सकता है पूर्ववर्ती।

चुनाव आयोग की भूमिका

61. संविधान का अनुच्छेद 324 अधीक्षण, निर्देश और निर्वाचन आयोग की शक्तियों को निर्धारित करता है। चुनावों का नियंत्रण और इस प्रकार पढ़ता हैः

" 324. निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

चुनाव आयोग में निहित होनाः -(1) द.

[2018] 10 एस. सी. आर. की तैयारी का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।

(2) चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और इतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(3) जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(4) लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले और पहले आम चुनाव से पहले और उसके बाद ऐसी परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ परामर्श करने के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है जो वह खंड (1) द्वारा आयोग को प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में चुनाव आयोग की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे।

(5) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सेवा की शर्तें और चुनाव के पद का कार्यकाल

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और मुख्य चुनाव की सेवा की शर्तों के समान तरीके से और समान आधारों पर आयुक्त को उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा। (6) राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर, यू. बी. एल. आई. टी. ए. आर. एस. टी. फाउंडेशन और ओ. आर. एस. को उपलब्ध कराएगा।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

निर्वाचन आयोग या किसी क्षेत्रीय आयुक्त को ऐसे कर्मचारी

जो प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो

निर्वाचन आयोग पर खंड (1) द्वारा।

62. इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में स्पष्ट किया है कि

चुनाव आयोग और वह किस हद तक प्रयोग कर सकता है

संवैधानिक ढांचे के तहत।

63. भारत के चुनाव आयोग में और दूसरा। वी. डॉ.

अमानियम स्वामी और अन्य 1 5, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि

राष्ट्रपति, जैसा भी मामला हो, इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए कि राज्य विधानमंडल के सदन या संसद के किसी भी सदन के संबंधित सदस्य को अयोग्य ठहराया गया है या नहीं।न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" फिर हम अनुच्छेद 192 के खंड (2) की ओर मुड़ते हैं जो निम्नानुसार हैः

192 (2) - ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेगा।

और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

'चुनाव आयोग की राय' प्राप्त करेगा 'शब्दों के उपयोग से यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की राय प्राप्त करना अनिवार्य है और आगे यह शर्त कि राज्यपाल ऐसी राय के अनुसार' कार्य करेगा 'कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है।

इस संदेह के लिए कि राज्यपाल उस राय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।

कानून में स्थिति इस न्यायालय के फैसले से अच्छी तरह से तय की गई है

वृंदावन बनाम। निर्वाचन आयोग, [1965] 3 एस. सी. आर. 53 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह राज्यपाल का दायित्व है कि वह

चुनाव की राय के अनुसार निर्णय

आयोग। इस प्रकार अनुच्छेद 192 के दो खंडों के संयुक्त पठन पर यह स्पष्ट है कि एक बार जब पहले खंड में उल्लिखित प्रकार का प्रश्न राज्यपाल को भेजा जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्यपाल के समक्ष उठाया जाता है, तो राज्यपाल और राज्यपाल को ही इसका निर्णय करना चाहिए, लेकिन यह निर्णय चुनाव आयोग की राय प्राप्त करने के बाद लिया जाना चाहिए और जो निर्णय अंतिम बनाया जाता है वह वह निर्णय है जो राज्यपाल ने चुनाव आयोग की राय के अनुसार लिया है। वस्तुतः राज्यपाल का निर्णय राज्यपाल की राय पर निर्भर होना चाहिए।

चुनाव आयोग और कोई और नहीं, यहां तक कि परिषद भी नहीं

मंत्री। इस प्रकार चुनाव आयोग की राय निर्णायक है क्योंकि अंतिम आदेश पूरी तरह से उसी राय पर आधारित होगा।

8. भारत के चुनाव आयोग बनाम के मामले में भी यही विचार व्यक्त किया गया। एन. जी. रंगा, [1979] 1 एससीआर 210, जबकि

समान परिवर्तन को छोड़कर अनुच्छेद 192 (1) और 103 (1) की भाषा समान है। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने दोहराया कि राष्ट्रपति की राय लेने और प्राप्त करने के लिए बाध्य था

चुनाव आयोग और उसके बाद ही इस मुद्दे पर फैसला करता है

उसके अनुसार। दूसरे शब्दों में, यह चुनाव है आयोग की राय जो निर्णायक है।

मोहिंदर सिंह गिल (ऊपर) में, जे. कृष्ण अय्यर ने कहाः

" 12. यह योजना है। भारत के राष्ट्रपति (धारा 14 के तहत) कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित और मतदाता सूची में पंजीकृत लोगों से लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का आह्वान करके देश भर में आम चुनावों की शुरुआत करते हैं। संवैधानिक रूप से नियुक्त प्राधिकरण, चुनाव आयोग, विशाल उद्यम के पूरे संचालन और पर्यवेक्षण को संभालता है जिसमें विवरण और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं, और चुनाव के कई चरणों (धारा 30) के लिए समय सारिणी की अधिसूचना के साथ शुरू होता है। इसके बाद असेंबली लाइन का संचालन शुरू होता है। इन विशाल और विविध कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र और प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा गढ़ी गई है, जो अधिकारियों, शक्तियों और कर्तव्यों, कार्यों के प्रत्यायोजन और मतदान केंद्रों के स्थान का निर्माण करती है। सटीक अभ्यास के बाद

चुनाव के लिए कैलेंडर, नामांकन पत्रों की प्रस्तुति, मतदान अभ्यास और वोटों के बारे में बताने से शुरू होता है, जो घोषणा और परिणामों की रिपोर्ट में समाप्त होता है।

अधिनियम और नियम। मतपत्र की गोपनीयता, मतदान पत्र की प्रामाणिकता और विशेष मतदान केंद्रों के संदर्भ में इसकी 'बाद में पहचान' के लिए विचारपूर्वक व्यवस्था की गई है। सुचारू चुनाव के लिए आवश्यक असंख्य अन्य मामले हैं

अधिनियम के कई प्रावधानों द्वारा ध्यान रखा गया।

65. इसके अलावा, न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल (ऊपर) पुनर्निर्वाचन में कहा कि परिस्थितियों की मजबूरी में एक पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए यू. बी. एल. आई. एफ. फाउंडेशन और ओ. आर. एस.।

चुनाव के संचालन के लिए निर्देशित किया जाए और अनुच्छेद द्वारा बचाया जा सकता है कि यह मतदाताओं के स्वतंत्र सी. टी. की पुष्टि के लिए प्रामाणिक और आवश्यक है और पिछले चुनाव को त्याग दिया गया थाइसका उपयोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद भी आयोग को अपने लिए एक कानून नहीं बनाता है। व्यापक प्राधिकरण किसी विशेष आदेश की विशिष्ट वैधता की जांच पर रोक नहीं लगाता है। टोपी रखने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

" 2 (क) संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर विचार करता है और अधीक्षण, निर्देशन की व्यापक जिम्मेदारियां निहित करता है। और चुनाव आयोग में चुनाव के संचालन का नियंत्रण। यह जिम्मेदारी शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को शामिल कर सकती है

कई प्रकार, प्रशासनिक या अन्य, के आधार पर परिस्थितियाँ।

(ख) इसके अभ्यास में इसके पूर्ण स्वरूप पर कम से कम दो सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, जब संसद या किसी राज्य विधानमंडल ने चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में वैध कानून बनाया है, तो आयोग ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन जहां ऐसी कानून चुप है, अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को अभियान के साथ आगे बढ़ाने से अलग नहीं होने के घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने के लिए शक्ति का भंडार है-दूसरा, आयोग कानून के शासन के लिए जिम्मेदार होगा, ईमानदारी से कार्य करेगा और प्राकृतिक न्याय के मानदंडों के लिए उत्तरदायी होगा, जहां तक कि इस तरह के नियमों के अनुरूप होने की आवश्यकता हो सकती है। , चुनाव। निष्पक्षता एक आयात करती है

यह देखने का दायित्व कि कोई भी गलत-कर्ता उम्मीदवार अपने द्वारा लाभान्वित न हो स्वयं गलत है। इस मामले को संदेह से परे रखने से प्राकृतिक न्याय को बढ़ावा मिलता है

और कुल पुनर्मतदान के लिए क्रम के विशिष्ट मामले पर लागू होता है, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं बल्कि लचीली व्यावहारिकता में। इसका अनुपालन किया गया है या नहीं, इसे न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

66. मोहिंदर गिल (ऊपर) मामले में सहमति वाले फैसले में, गोस्वामी,

अनुच्छेद 324 के संबंध में, पैरा 113 में इस प्रकार कहा गया है:

' ..... चूँकि विभिन्न विधायी निकायों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए सभी चुनावों का संचालन चुनाव आयोग में अनुच्छेद 324 (1) के तहत निहित है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने अवशिष्ट के प्रयोग के लिए गुंजाइश छोड़ने का ध्यान रखा। आयोग द्वारा शक्ति, अपने आप में, [2018] 10 एस. सी. आर. के एक प्राणी के रूप में

संविधान, असीम विविधता की स्थितियों में जो हमारे जैसे विशाल लोकतंत्र में समय-समय पर उभर सकती हैं। प्रत्येक

आकस्मिकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका, या सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सका। यही कारण है कि अनुच्छेद 324 में कोई बचाव नहीं है। आयोग को कुछ ऐसी स्थिति से निपटने की आवश्यकता हो सकती है जिसका प्रावधान अधिनियमित कानूनों और नियमों में नहीं किया गया है।

67. ए. सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई और अन्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

" यह सच है कि अनुच्छेद 324 आयोग को प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ

निर्वाचक नामावली और संसद के लिए चुनाव का संचालन और

संघ सूची में प्रविष्टि सं. 72 और प्रविष्टि सं. 37 संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची।

आयोग विनियमन के लिए आदेश पारित करने की आड़ में

चुनाव का संचालन विशुद्ध रूप से विधायी नहीं हो सकता है।

ऐसी गतिविधि जो योजना के तहत आरक्षित की गई हो संविधान केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए है। नहीं से।

मानकों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि आयोग एक तीसरा सदन है। विधायी प्रक्रिया संविधान की योजना के भीतर होनी चाहिए।

केवल संविधान की रचना होने से यह पूर्ण नहीं होगा और बिना किसी संदर्भ के अपनी इच्छानुसार कानून बनाने की पूर्ण शक्ति

विधायिकाओं द्वारा अधिनियमित कानून। ”

[जोर दिया गया]

68. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ऊपर) में, न्यायालय ने

डीः

संसद और विधानमंडल के लिए 'सभी चुनावों का संचालन' प्रत्येक राज्य का चुनाव आयोग में निहित होना। वाक्यांश 'आचरण'

चुनाव का 'व्यापक आयाम माना जाता है जिसमें शामिल होंगे

निःशुल्क संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करने की शक्ति और निष्पक्ष चुनाव "।

1984 एससी 921 सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

69. कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ और अन्य ", यह

न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 181. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग, जिसे संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनावों की निगरानी करने के लिए पूर्ण शक्तियां दी गई हैं, ने गुप्त मतपत्र प्रणाली को बदलने के विवादित संशोधन का विरोध किया था। इसलिए, इसके दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में हम कहेंगे कि जहां इस विषय पर कानून चुप है, वहां अनुच्छेद 324 चुनाव के लिए शक्ति का भंडार है लक्ष्य
का पीछा करने के घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने के लिए आयोग

एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, और इस दृष्टिकोण में यह एक सलाहकार की भूमिका भी ग्रहण करता है। लेकिन अनुच्छेद 327 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, जो सर्वोच्च है और इसलिए ऐसी सलाह से बाध्य नहीं है। हम मोहिंदर सिंह गिल (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पहले ही जो कहा जा चुका है, उसका उल्लेख करके इस तर्क को अस्वीकार कर देंगे और यहां जो दोहराया जा सकता है वह यह है कि चुनाव आयोग के "पूर्ण चरित्र" के प्रयोग की सीमाओं में इस आशय की एक सीमा शामिल है कि "जब संसद या किसी राज्य विधानमंडल ने चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में वैध कानून बनाया है, तो आयोग, इसके अनुरूप कार्य करेगा, जिसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

प्रावधान "।

70. उपरोक्त निर्णयों की सराहना की जानी चाहिए। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि चुनाव आयोग के पास पूर्ण अधिवेशन है

शक्ति और उसके दृष्टिकोण को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी करने की शक्ति है। हालाँकि, उक्त शक्ति की अपनी सीमाएँ हैं। चुनाव आयोग को करनी होगी कार्रवाई

संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप और यह इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है।

71. याचिकाकर्ता की ओर से 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 800 में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा कि पारंपरिक रूप से, न्यायालय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगा, हालांकि, यह इस न्यायालय को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना राजनीति और राजनीतिक प्रणाली के अपराधीकरण की समस्या के व्यवस्थित विकास को संबोधित करने के लिए आवश्यक निर्देश पारित करने से नहीं रोक सकता है और यह न्यायालय अपने संवैधानिक कार्य का निर्वहन करने के लिए चुनाव को निर्देश दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के निवारण और संविधान की शुद्धता की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयोग

चुनाव प्रक्रिया। श्री वेणुगोपाल का तर्क है कि अतीत में भी इस न्यायालय ने कई मामलों में चुनाव के लिए निर्देश दिए थे आयोग। उन्होंने यह भी बताया है कि इस अदालत के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता के पीछे का कारण

राजनीति का अपराधीकरण यह है कि कई विधि आयोग की रिपोर्टों और अन्य पत्रों ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला है कि राजनीति का व्यापक अपराधीकरण हुआ है और इस न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में इस तथ्य का संज्ञान लिया है, लेकिन उक्त रिपोर्टों और इस न्यायालय के प्रयासों के बावजूद, न तो संसद और न ही भारत सरकार ने समस्या से निपटने के लिए गंभीर कार्रवाई की है।

72. इसके अलावा, श्री वेणुगोपाल ने इस न्यायालय का ध्यान 'मिलन वैष्णव, जब अपराध भुगतान करता हैः' शीर्षक वाली रिपोर्ट के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया है। भारतीय राजनीति में धन और ताकत "1 8 इस बात को उजागर करने के लिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में खतरनाक वृद्धि हुई है और उनके जीतने की संभावना वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है और सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में पर्याप्त सबूत हैं जो

इस तथ्य को दोहराता है।

73. उस आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि अनुभवजन्य साक्ष्य इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि वर्तमान विधायी ढांचा अपराधियों को चुनावी क्षेत्र में प्रवेश करने और विधायक बनने की अनुमति देता है जो चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और अखंडता में हस्तक्षेप करता है, स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो मूल संरचना का एक हिस्सा है और इस प्रकार, नियम के विरोधी है

कानून का।

74. श्री वेणुगोपाल के निवेदन का याचिकाकर्ताओं की ओर से रिट में पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी ने समर्थन किया है। 2011 की याचिका (सिविल) संख्या 536 और न्यायमित्र श्री सिद्धार्थ लूथरा ने इस आशय से कहा कि यदि न्यायालय आपराधिक मुकदमे में पूर्व चरण को शामिल करने का इरादा नहीं रखता है, तो वह निश्चित रूप से चुनाव आयोग को चुनाव प्रतीकों में कुछ शर्तों को शामिल करके लोकतंत्र को बचाने का निर्देश दे सकता है।

(आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (इसके बाद 'प्रतीक आदेश' के रूप में संदर्भित)। निवेदन यह है कि जिस उम्मीदवार के खिलाफ जघन्य और गंभीर अपराधों के संबंध में आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, उन्हें पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 1 8 मिलन वैष्णव, जब अपराध का फल मिलता हैः मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स, येल प्रेस यूनिवर्सिटी, न्यू हेवन (2017)

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

यह आग्रह किया जाता है कि यह निर्देश विधायिका द्वारा प्रदान की गई अयोग्यता को जोड़ने के बराबर नहीं होगा, बल्कि केवल एक उम्मीदवार को राजनीतिक दल के प्रतीक के साथ चुनाव लड़ने से वंचित करेगा।

75. विद्वान द्वारा उपरोक्त प्रस्तुतिकरण का गंभीर विरोध किया जाता है।

महान्यायवादी। यह प्रथम प्रतिवादी का मामला है कि अधिनियम की धारा 29 ए भारत के चुनाव आयोग को इसकी अनुमति नहीं देती है

किसी राजनीतिक दल की पंजीकरण रद्द करें। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, भारत संघ ने

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1) v में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। समाज कल्याण संस्थान और अन्य "।

76. यह प्रथम प्रत्यर्थी का भी अभिनिर्णय है कि इस न्यायालय की निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने की शक्ति

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (उपरोक्त) में भारत के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

भारत का संविधान केवल उन क्षेत्रों में काम करता है जहां कानून नहीं है और इस मामले में, भारत का संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में पहले से ही संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान हैं। इसलिए, चुनाव आयोग को निर्देश दें

(ए) किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करना, (बी) किसी राजनीतिक दल के नवीनीकरण से इनकार करना या (सी) किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं करना, यदि वे ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं जिन पर केवल अपराधों का आरोप है, तो यह एक रंगीन मार्ग अपनाने के बराबर होगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वह करना जो भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

77. भारत संघ की ओर से यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रतीक आदेश के तहत एक राजनीतिक दल की मान्यता में एक शर्त जोड़ी जाए

केवल अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों के साथ स्वयं के परिणामस्वरूप होगा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन क्योंकि यह एक ऐसे क़ानून को जोड़ने के समान होगा जो स्पष्ट और स्पष्ट है।

19 (2002) 5 एस. सी. सी. 685

20 (1979) 1 एससीसी 560

21 (2000) 6 एस. सी. सी. 213 [2018] 10 एस. सी. आर.

79. प्रथम प्रतिवादी के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों और अधिनियम के प्रावधानों की प्रकृति में 'शुद्ध कानून' नहीं हो सकता है

न्यायाधीश द्वारा प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित कानून बनाया गया। उक्त स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रथम प्रतिवादी ने हिमाचल प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया है और अन्य बनाम। सतपाल सैनी 22 और केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य और अन्य 2,3 जिसमें इस न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया गया था। यह है विवाद

प्रथम प्रत्यर्थी का कि सकारात्मक में वर्तमान संदर्भ का उत्तर देने के परिणामस्वरूप पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा

शक्तियाँ।

80. प्रथम प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष होने का अनुमान भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है।

लोकतंत्र और उक्त धारणा प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि व्यक्ति को पूर्ण परीक्षण के बाद दोषी नहीं ठहराया जाता है जहां सबूत पेश किया जाता है। दंडात्मक परिणाम केवल आरोप के आधार पर नहीं हो सकते हैं।

81. अमित में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त करना

कपूर वी. रमेश चंदर और अन्य 24, प्रथम प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने का मानक हमेशा प्रथम दृष्टया मामले से कम होता है, यानी तथ्य सामने आने पर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है।

अभिलेख से कथित अपराध का गठन करने वाले सभी घटकों के अस्तित्व का खुलासा होता है और इसलिए, यह अभिनिर्धारित करने के परिणाम कि एक व्यक्ति जिस पर केवल आरोप लगाया गया है, वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता का हकदार नहीं है, गंभीर होगा क्योंकि इसका प्रभाव राजनीतिक दल के प्रतीक का एक बहुत ही मूल्यवान लाभ छीनने का होगा।

82. यह पहले प्रतिवादी द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि

प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत संघ बनाने का अधिकार है जिसमें उन व्यक्तियों के साथ जुड़ने का अधिकार शामिल है जो अन्यथा हैं।

भारत के संविधान के तहत और संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत संसद के सदस्य होने के लिए योग्य। इसके अलावा, इस अधिकार को केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है और अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया कोई भी निर्देश अनुच्छेद 19 (1) (सी) के उद्देश्य के लिए कानून नहीं है।

83. प्रथम प्रत्यर्थी यह भी प्रस्तुत करता है कि अधिनियम में पहले से ही एक उम्मीदवार द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण के लिए विस्तृत प्रावधान हैं

(2017) 11 एस. सी. सी 42

23 (1973) 4 एससीसी 225

24 (2012) 9 एस. सी. सी. 460 सार्वजनिक रुचि आधार और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

धारा 33 ए का प्रपत्र जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को खुलासा करने की आवश्यकता होती है उन अपराधों से संबंधित जानकारी जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। यह जानकारी भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी जाती है और किसी राजनीतिक दल के प्रत्येक सदस्य को इस तरह की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह चुनाव लड़ रहा हो या नहीं, उक्त सदस्य की गोपनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

84. भारत संघ में निर्णयों पर भरोसा करना और एक अन्य v. देवकी नंदन अग्रवाल 2 5 और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम।

भारत संघ और एक अन्य, प्रथम प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को किसी क़ानून में शब्द जोड़ने या उसमें ऐसे शब्द पढ़ने का अधिकार नहीं देता है जो वहां नहीं हैं और अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को कानून बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। 85. जहाँ तक इस मुद्दे का संबंध है कि एक रिक्तता है जिसके कारण इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, पहले प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि

संविधान और अधिनियम के प्रावधानों के रूप में तर्क असमर्थनीय है

वे स्पष्ट और असंदिग्ध हैं और इसलिए, सकारात्मक में निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप होगा और संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा अधिनियमित कानून के विपरीत होगा।

चुनाव चिन्ह आदेश का विश्लेषण

86. विज्ञापन की स्थिति में और याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इसे स्कैन और विश्लेषण करना उचित है

प्रतीक आदेश के प्रासंगिक प्रावधान जो आवंटन, वर्गीकरण, उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों के चयन और प्रतीकों के आवंटन पर प्रतिबंध से संबंधित हैं। प्रतीक आदेश के खंड (4) में लिखा है:

" 4. प्रतीकों का आवंटन-प्रत्येक लड़े गए चुनाव में इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक प्रतीक आवंटित किया जाएगा और उसी में चुनाव लड़ने वाले विभिन्न उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्र "।

87. प्रतीक आदेश के खंड (4) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले के लिए एक प्रतीक होगा।

उम्मीदवार को इस प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जाएगा और उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के मामले में,

25 (1992) पूरक (1) 323 26 (1998) 4 एससीसी 409 [2018] 10 एस. सी. आर.

अलग-अलग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। अब, हमें प्रतीक आदेश के खंड (5) को भी विच्छेदित करना चाहिए जिसमें लिखा हैः

" 5. प्रतीकों का वर्गीकरण-(1) इस आदेश के उद्देश्य के लिए

प्रतीक या तो आरक्षित हैं या स्वतंत्र हैं।

(3) एक स्वतंत्र प्रतीक एक आरक्षित प्रतीक के अलावा एक अन्य प्रतीक है। 88. प्रतीक आदेश के खंड (5) का उपखंड (1), एक प्राथमिकता,

इस प्रतीक आदेश के उद्देश्यों के लिए प्रतीकों को दो साइमन शुद्ध श्रेणियों में विभाजित करता है, अर्थात, 'आरक्षित' या 'मुक्त'। इसलिए, प्रतीक क्रम के तहत एक प्रतीक या तो आरक्षित किया जा सकता है या यह मुक्त हो सकता है। इससे पहले

खंड (5) के उपखंड (2) को कूटबद्ध करते हुए, हम पहले उपखंड (3) को समझ सकते हैं जो एक मुक्त प्रतीक को नकारात्मक परिभाषा देता है। खंड (5) के उपखंड (3) के अनुसार, एक प्रतीक स्वतंत्र है यदि प्रतीक आदेश के तहत आरक्षित नहीं है। खंड (5) का उपखंड (2) जो एक आरक्षित प्रतीक को परिभाषित करता है, यह निर्धारित करता है कि प्रतीक आदेश में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, एक आरक्षित प्रतीक वह है जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को विशेष आवंटन के लिए आरक्षित है। पार्टी।

89. इसके बाद, खंड (6) राजनीतिक दलों को राज्य दलों और राष्ट्रीय दलों में वर्गीकृत करता है। खंड (6 ए) और (6 बी) क्रमशः राज्य और राष्ट्रीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं। खंड के तहत

(17) चुनाव आयोग भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय दलों, राज्य दलों और उनके लिए आरक्षित प्रतीकों को प्रकाशित करता है। खंड (17) निम्नानुसार हैः

" 17. राजनीतिक दलों की सूचियों वाली अधिसूचना और प्रतीक -

(1) आयोग एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा

भारत का राजपत्र निर्दिष्ट सूची प्रकाशित करता है

(क) राष्ट्रीय दल और प्रतीक क्रमशः आरक्षित

उनके लिए;

((ख) राज्य दल, राज्य या राज्य जिनमें वे राज्य दल हैं और ऐसे राज्यों में क्रमशः उनके लिए आरक्षित प्रतीक।

राज्य या राज्य;

एक्स एक्स एक्स "

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]90. चिह्नों के चयन और उनके आवंटन पर प्रतिबंध के मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान खंड (8) है -

ओ. एल. एस. आदेश जो इस प्रकार हैः

दल और उनका आवंटन - (1) भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवार प्रतीक का चयन करेगा और उसे आवंटित किया जाएगा।

उस पार्टी के लिए आरक्षित और कोई अन्य प्रतीक नहीं। (2) किसी राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में राज्य पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवार, जिसमें ऐसी पार्टी राज्य पार्टी है, उसे चुना जाएगा और उसे उस राज्य में उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित किया जाएगा।

वह राज्य और कोई अन्य प्रतीक नहीं। (3) किसी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवार, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, या किसी राज्य पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवार, जिसके लिए ऐसा प्रतीक उस राज्य में आरक्षित किया गया है, जिसमें वह एक राज्य पार्टी है, के अलावा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार द्वारा आरक्षित प्रतीक का चयन या आवंटन नहीं किया जाएगा, भले ही उस निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा कोई उम्मीदवार स्थापित नहीं किया गया हो।

91. प्रतीक आदेश के खंड (8) की व्याख्या के लिए, यह उपयुक्त है कि खंड (13) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई उम्मीदवार कब माना जाता है।

एक राजनीतिक दल द्वारा स्थापित। खंड (13) निम्नानुसार हैः

" 13. जब एक उम्मीदवार को एक द्वारा स्थापित माना जाएगा

राजनीतिक दल। किसी से चुनाव के प्रयोजनों के लिए

संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें यह आदेश लागू होता है, एक उम्मीदवार को किसी भी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल द्वारा स्थापित माना जाएगा।

ऐसा संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, यदि, और केवल यदि, (क) उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में इस आशय की निर्धारित घोषणा की है;

((क) उम्मीदवार उस राजनीतिक दल का सदस्य है और उसका नाम पार्टी के सदस्यों की सूची में अंकित है। (ख) राजनीतिक दल द्वारा लिखित रूप में, प्रपत्र ख में, इस आशय का एक नोटिस, नामांकन करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3 बजे के बाद, निर्वाचन अधिकारी को दिया गया है।

क्षेत्र; [2018] 10 एस. सी. आर

(ग) प्रपत्र ख में उक्त सूचना पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, पार्टी के सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी और अध्यक्ष, सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारी को नोटिस भेजा गया है।

इस तरह की सूचना भेजने के लिए पक्ष द्वारा अधिकृत;
(घ) ऐसे अधिकृत व्यक्ति के नाम और नमूने के हस्ताक्षर के बारे में पार्टी द्वारा फॉर्म ए में निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अंतिम दिन दोपहर 3 बजे के बाद सूचित किया जाता है।

नामांकन करने की तिथि; और

(ई) प्रपत्र ए और बी पर उक्त पदाधिकारी द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षर किए जाते हैं।

या पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्तिः
बशर्ते कि इसके माध्यम से कोई प्रतिकृति हस्ताक्षर या हस्ताक्षर न हो

ऐसे किसी पदाधिकारी या अधिकृत व्यक्ति का रबर स्टाम्प आदि।

स्वीकार किया जाएगा और फ़ैक्स द्वारा प्रेषित कोई भी प्रपत्र नहीं होगा

स्वीकार कर लिया "।

93. प्रतीक आदेश के खंड (8) पर वापस आते हुए, खंड (8) के उपखंड (1) के अनुसार, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में खंड (13) के संदर्भ में एक राष्ट्रीय दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार प्रतीक का चयन करेगा। ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए आरक्षित और कोई अन्य प्रतीक नहीं। खंड (8) के उपखंड (1) में 'होगा' शब्द का उपयोग करके किसी राष्ट्रीय दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के लिए ऐसे राष्ट्रीय दल के लिए आरक्षित प्रतीक का चयन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

पार्टी। इसके अलावा, उपखंड (1), दूसरी बार, चुनाव आयोग के संदर्भ में 'होगा' शब्द का उपयोग करके, चुनाव आयोग के लिए किसी राष्ट्रीय दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार को ऐसे राष्ट्रीय दल के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित करना अनिवार्य बनाता है। इसलिए, उपखंड (1) निर्वाचन आयोग पर यह कर्तव्य डालते हुए, एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, किसी राष्ट्रीय दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार को ऐसे राष्ट्रीय दल के लिए आरक्षित चिह्न के तहत चुनाव लड़ने के अधिकार को जन्म देता है।

94. इसके अलावा, खंड (8) के उपखंड (3) के पहले भाग में यह निर्धारित किया गया है कि खंड (17) के साथ पठित खंड (5) के संदर्भ में एक प्रतीक आरक्षित है। प्रतीक आदेश, न तो चुनाव आयोग द्वारा किसी राष्ट्रीय दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को चुना जाएगा और न ही आवंटित किया जाएगा।

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

95. खंड (8) के उपखंड (2) और खंड (3) के उत्तरार्द्ध राज्य के उम्मीदवारों द्वारा प्रतीक के चयन के लिए संबंधित प्रावधान हैं।

जिन पक्षों में, संक्षिप्तता के लिए, हमें गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतीक आदेश के अंतिम खंड पर आते हुए, खंड (18) इस प्रकार हैः

" 18. निर्देश जारी करने के लिए आयोग की शक्ति और दिशा निर्देशः आयोग निर्देश जारी कर सकता है और

दिशा-निर्देश

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

(ग) राजनीतिक दलों के आरक्षण और प्रतीकों के आवंटन और मान्यता के संबंध में किसी भी मामले के संबंध में, जिसके लिए यह आदेश कोई प्रावधान नहीं करता है या अपर्याप्त प्रावधान करता है, और आयोग की राय में प्रावधान आवश्यक है चुनावों का सुचारू और व्यवस्थित संचालन "।

96. खंड 18 के उपखंड (ग) के संदर्भ में, आरक्षण और आवंटन से संबंधित मामलों में निर्देश और निर्देश जारी करने की शक्ति। चुनाव आयोग द्वारा स्वयं प्रतीकों को आरक्षित किया गया है।

97. जो बात सामने आती है वह यह है कि जब किसी उम्मीदवार को किसी विशेष राजनीतिक दल द्वारा चुनाव में खड़ा किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार को खंड (8) के उपखंड (3) के तहत उस संबंधित राजनीतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक चुनने का अधिकार है जिसके द्वारा उसे खड़ा किया गया है। चुनाव आयोग पर एक समान कर्तव्य भी रखा गया है कि वह ऐसे उम्मीदवार को राजनीतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित करे।

जिसे उसे स्थापित किया गया है और किसी अन्य उम्मीदवार के लिए नहीं। 98. एक काल्पनिक स्थिति को मानते हुए, जहां एक विशेष प्रतीक किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए आरक्षित है और ऐसा राजनीतिक दल सेट करता है

चुनाव में एक उम्मीदवार जिसके खिलाफ जघन्य और/या गंभीर अपराधों के लिए आरोप बनाए गए हैं और यदि हम याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए रखे गए वैकल्पिक प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को राजनीतिक दल के लिए आरक्षित चिह्न के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह अयोग्यता के लिए एक नया आधार जोड़ने के समान होगा जो राज्य की न्यायिक शाखा के दायरे से बाहर है। इसके विपरीत कोई भी प्रयास न्यायिक शक्ति का एक रंगीन प्रयोग होगा क्योंकि यह स्वयंसिद्ध है कि "जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाना चाहिए" जो भारतीय न्यायपालिका में एक सर्वमान्य सिद्धांत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

99. यहाँ हम कुछ प्राधिकरणों को संदर्भित करने के लिए लाभ उठा सकते हैं जिनमें

उक्त सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की गई है।

100. एलाइड मोटर्स लिमिटेड बनाम। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ", नजीर अहमद बनाम में प्रिवी काउंसिल के प्रसिद्ध फैसले का संदर्भ दिया गया था। राजा सम्राट 28 जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "जहां किसी निश्चित कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, वह कार्य उस तरह से किया जाना चाहिए, या बिल्कुल नहीं। ” प्रदर्शन के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई फैसलों में दोहराया और विस्तारित किया गया है।

101. डी. आर. वेंकटचलम और अन्य बनाम। डी. परिवहन

आयुक्त और अन्य 2 9, यह देखा गयाः

" अंतिम विश्लेषण में, निर्माण के नियम पर श्री.

चिताली अंतिम-उल्लिखित निवेदन करने के लिए हैः " अभिव्यक्ति एक अद्वितीय परिवर्तन है। यह उक्ति, जिसे "एक मूल्यवान सेवक लेकिन एक खतरनाक स्वामी" के रूप में वर्णित किया गया है (जे. लोप्स के अनुसार, कॉलकुहौन बनाम में अपील न्यायालय में। ब्रूक्स, (1888) 21 क्यू. बी. डी. 52 को टेलर बनाम में तैयार किए गए नियम में भी अभिव्यक्ति मिलती है। टेलर (1875) 1 Ch D 426 ने प्रिवी काउंसिल द्वारा नजीर अहमद बनाम में आवेदन किया। राजा सम्राट जिसे इस दरबार द्वारा बार-बार अपनाया गया है। यह नियम कहता है कि कुछ करने का एक स्पष्ट रूप से निर्धारित तरीका आवश्यक रूप से इसे किसी अन्य तरीके से करने के निषेध का तात्पर्य है।

102. इसी तरह, राज्य के माध्यम से। पी. एस. लोधी कॉलोनी नई दिल्ली बनाम संजीव नंदा 3 0, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि कुछ विशेष तरीके से करने की आवश्यकता है, तो वह केवल उसी तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 (2) नजीर अहमद बनाम। राजा।

सम्राट, यह इस प्रकार आयोजित किया गया हैः

“ ..... जो नियम लागू होता है वह एक अलग और कम अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियम है, अर्थात्, जहां किसी निश्चित काम को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, तो काम को उस तरह से किया जाना चाहिए या नहीं।

सब कुछ "।

28 आकाशवाणी 1936 पी. सी. 253 29 आकाशवाणी 1977 एससी 842

30 ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3104 सार्वजनिक रुचि आधार और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

103. एक अन्य निर्णय जिसमें इस सिद्धांत को दोहराया गया है, वह है रश्मि रेखा थातोई और एक अन्य v। उड़ीसा राज्य और अन्य 3 1 जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया थाः

" इस संबंध में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून की अदालत को वैधानिक आदेश के भीतर कार्य करना चाहिए और इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यह कानून का एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। एक वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते समय एक अदालत है
उसके चारों कोनों के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य। शक्ति का वैधानिक प्रयोग शक्ति के प्रयोग की तुलना में एक अलग आधार पर है

न्यायिक समीक्षा "।

104. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए किसी भी निर्देश से विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है

और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ करने की प्रभाव क्षमता है जो सीधे करने की अनुमति नहीं है। पार्टी के चिन्ह से वंचित उम्मीदवार को एक तरह से राजनीतिक दल के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जैसा कि हम समझते हैं, प्रभाव समान होगा। इसके अलावा, एक कानून के बिना, इसे प्रतिबंधित करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र को नुकसान पहुँचने की संभावना है। शैलेश मनुभाई परमार बनाम। चुनाव

भारत आयोग 3 2, राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया में नोटा लागू करने के मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

राज्य परिषद के सदस्य लोकतंत्र के मौलिक मानदंड के लिए एक अभिशाप होंगे जो कि एक बुनियादी विशेषता है -
संविधान। यह बिना किसी विरोधाभास के भय के कहा जा सकता है कि पी. यू. सी. एल. के निर्णय के आधार पर निर्वाचन आयोग, जिसमें पहला प्रतिवादी है, द्वारा परिकल्पित नोटा को लागू करने के प्रावधान पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि उक्त निर्णय ऐसा नहीं कहता है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि अनुच्छेद 80 में निहित संवैधानिक प्रावधानों और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत प्रदान की गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए निर्णय भी ऐसा नहीं कह सकता था। इस तरह के चुनाव में नोटा की शुरुआत न केवल उस अनुशासन के विपरीत होगी जो दसवीं अनुसूची के तहत एक मतदाता से अपेक्षित है।

31 (2012) 5 एस. सी. सी. 690

32 2018 (10) स्केल 52 [2018] 10 एस. सी. आर

संविधान लेकिन मूल व्याकरण के प्रतिकूल भी हो के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता की विधि

दलबदल। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि क्या नहीं किया जा सकता है

प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। विस्तार से, अगर नोटा की अनुमति है

राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव में,

दलबदल के निषिद्ध पहलू से अप्रत्यक्ष रूप से शुरुआत होगी

अपार शक्ति।

(जोर हमारा है)

105. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया

न्यायालय के लिए राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए नोटा की शुरूआत का विचार था कि यदि राज्यसभा के चुनावों में नोटा विकल्प की उपलब्धता की अनुमति दी जाएगी, तो यह सदस्य होने या बनने के लिए अयोग्यता को लागू करने या संशोधित करने का प्रयास करके शक्ति का रंगीन प्रयोग होगा, जो शक्ति पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस प्रकार निर्णय देते हुए, न्यायालय ने आगे कहाः

" अप्रत्यक्ष चुनावों में नोटा की शुरुआत पहली बार हो सकती है।

एक नज़र बुद्धि को लुभाती है लेकिन गहन जांच पर, यह गिर जाता है आधार, क्योंकि यह इस तरह के एक निर्वाचक की भूमिका को पूरी तरह से अनदेखा करता है

चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह कहा जा सकता है

अधिक तो जहाँ निर्वाचक के वोट का मूल्य और मूल्य है वोट हस्तांतरणीय है। यह एक अमूर्तता है जो टिक नहीं पाती है।

कृष्ण अय्यर, जे., से एक अभिव्यक्ति उधार लेने के लिए, की जांच

ठोसता का ब्रह्मांड। हम तुरंत यह विकल्प जोड़ सकते हैं कि

ऊपर चर्चा की गई है, यह न केवल शुद्धता को कमजोर करेगा लोकतंत्र लेकिन दलबदल और भ्रष्टाचार के शैतान की भी सेवा करता है।

106. इस प्रकार चुनाव आयोग को दिए गए निर्देशों का विश्लेषण किया गया

याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मांग जो कहा गया है, उसके विपरीत है

यहाँ ऊपर। हालाँकि राजनीति में अपराधीकरण एक कड़वा प्रकट सत्य है, जो लोकतंत्र के गढ़ के लिए एक दीमक है, चाहे जो भी हो,

अदालत कानून नहीं बना सकती।

107. चुनाव आयोग को प्रकृति के निर्देश, जैसा कि मांगा गया है

हाथ में मामले में, एक आदर्शवादी दुनिया में एक सरसरी सार्वजनिक रुचि नींव और ओआरएस पर प्रतीत हो सकता है।

एक नजर में, राजनीति में अपराधीकरण की दुर्भावना के लिए एक प्रतिकार, लेकिन इस तरह के निर्देश, एक करीबी जांच पर, स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि यह संवैधानिक रूप से अनुमत नहीं है। संविधान के अंतिम मध्यस्थ और संवैधानिक लोकाचार के रक्षक होने के कर्तव्य से लदी राज्य की न्यायिक शाखा उस शक्ति को हड़प नहीं सकती जो उसके पास नहीं है।

108. बहुदलीय लोकतंत्र में, जहां सदस्य दल के आधार पर चुने जाते हैं और दल के अनुशासन के अधीन होते हैं, हम अनुशंसा करते हैं कि संसद एक मजबूत कानून लाएगी जिसके तहत राजनीतिक दलों के लिए उन व्यक्तियों की सदस्यता को रद्द करना अनिवार्य है जिनके खिलाफ जघन्य और गंभीर अपराधों में आरोप लगाए गए हैं और संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए चुनावों में ऐसे व्यक्तियों को स्थापित करना अनिवार्य नहीं है।

यह, हमारे चौकस और प्रशंसनीय दृष्टिकोण में, राजनीति के गैर-अपराधीकरण को प्राप्त करने और बेदाग, बेदाग, बेदाग और गुणी संवैधानिक लोकतंत्र के युग की शुरुआत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

109. हम ऊपर जो कुछ भी कह चुके हैं, उसके बावजूद हम राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे से अनजान रहने का इरादा नहीं रखते हैं। यह न्यायालय उसने उक्त अपराधीकरण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है और समय-समय पर निर्देश दिए हैं जो मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जागरूक करने के लिए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 38. यदि प्रसारण का अधिकार और खेल खेलों को देखने का अधिकार और ऐसी जानकारी प्रदान करने का अधिकार अभिन्न माना जाता है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अनुसार, हम यह समझने में विफल हैं कि एक नागरिक/एक छोटे से व्यक्ति को अपने पूर्वजों के बारे में जानने का अधिकार क्यों है।

उम्मीदवार को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। हमारे विचार में, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बिना, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सूचित मतदाताओं के बिना जीवित नहीं रह सकता है। डाले गए वोट एक्स या वाई उम्मीदवार के पक्ष में अनजान मतदाताओं द्वारा होगा

अर्थहीन। जैसा कि उपरोक्त परिच्छेद में कहा गया है, एक तरफा

सूचना, गलत सूचना, गलत सूचना और गैर-सूचना, सभी समान रूप से एक अनजान नागरिक वर्ग का निर्माण करते हैं जो लोकतंत्र को एक प्रहसन बनाता है। इसलिए, एक गलत और गैर-सूचित मतदाता या केवल एकतरफा जानकारी रखने वाले मतदाता द्वारा मतदान करना लोकतंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए बाध्य है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसी जानकारी प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार शामिल है जो

इसमें अपनी राय रखने की स्वतंत्रता शामिल है। मनोरंजन निहित है

'भाषण और अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार [2018] 10 एस. सी. आर.

एक उम्मीदवार के संबंध में सामग्री जानकारी प्राप्त करने के लिए जो किसी ऐसे पद के लिए चुनाव लड़ना जो सबसे महत्वपूर्ण हो

लोकतंत्र "।

110. उक्त निर्णय दिए जाने के बाद, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का 4) जारी किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) (उपरोक्त) की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 33-बी जो केवल अधिनियम और नियमों के तहत जानकारी प्रदान करने का प्रावधान करती है, संस्थागत है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

" 33 - बी. केवल अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार

और नियम। किसी भी चीज़ में निहित होने के बावजूद

किसी न्यायालय का निर्णय, डिक्री या आदेश या चुनाव आयोग द्वारा जारी कोई निर्देश, आदेश या कोई अन्य निर्देश, नहीं

उम्मीदवार अपने चुनाव के संबंध में ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा या प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है या

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रस्तुत किया गया है।

111. पी. वेंकट रेड्डी, जे. ने अपना विचार इस प्रकार व्यक्त कियाः

सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) का एक अभिन्न अंग है। हालाँकि, सूचना का यह अधिकार सार्वजनिक मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकार या सूचना के अधिकार से गुणात्मक रूप से अलग है। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना,

हालांकि, कुछ हद तक, ओवरलैपिंग हो सकती है।

*

(3) भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश। एसोसिएशन। लोकतांत्रिक सुधारों का उद्देश्य केवल तब तक काम करना था जब तक कि

कानून विधायिका द्वारा बनाया गया था और उस अर्थ में प्रकृति में 'अस्थायी' था। एक बार कानून बनने के बाद, न्यायालय को यह मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना होगा कि क्या मतदाता/नागरिक के लिए उपलब्ध सूचना के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित जानकारी उचित रूप से पर्याप्त है। इस कवायद को शुरू करते समय, इस न्यायालय द्वारा बताए गए प्रकटीकरण के बिंदु, भले ही वे अस्थायी या तदर्थ प्रकृति के हों, उन्हें उचित यू. बी. एल. आई. टी. ए. आर. एस. टी. फाउंडेशन और ओ. आर. एस. दिया जाना चाहिए।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

वहाँ से वजन और पर्याप्त विचलन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

*

(5) लोक प्रतिनिधित्व द्वारा अंतःस्थापित धारा 33-बी

(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है

संवैधानिकता, सबसे पहले, इस कारण से कि यह समय की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकताओं और अवसरों की परवाह किए बिना अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के अलावा अन्य सूचनाओं के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और दूसरा, इस कारण से कि प्रतिबंध इस तथ्य के बावजूद संचालित होता है कि सूचना का खुलासा

अब प्रदान किया गया प्रावधान अपर्याप्त और अपर्याप्त है। (6) लंबित आपराधिक मामलों और ऐसे मामलों में पिछली संलिप्तता के संबंध में धारा 33-ए के तहत संसद द्वारा प्रदान किया गया सूचना का अधिकार सुरक्षा के लिए उचित रूप से पर्याप्त है।

सूचना का अधिकार मतदाता/नागरिक में निहित है। हालांकि, लंबित मामलों को बाहर करने का कोई उचित कारण नहीं है जिसमें

न्यायालय द्वारा प्रकटीकरण के दायरे से संज्ञान लिया गया है।

112. धर्माधिकारी, जे. ने अपनी पूरक राय में इस प्रकार कहाः

" 127. सरकार द्वारा एक के बाद एक स्थापित किए गए सलाहकार आयोगों की रिपोर्ट, जिसका संदर्भ भाई शाह, जे. ने दिया है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करती है जहां धन शक्ति और बाहुबल ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को काफी प्रदूषित और विकृत कर दिया है। धन शक्ति और बाहु शक्ति के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए आयोगों ने सिफारिश की है कि चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और

बहुत बदल गया ऐसा न हो कि लोकतंत्र इस देश के आम नागरिकों के लिए एक चिढ़ाने वाला भ्रम बन जाए। न केवल चुनाव प्रणाली में सुधार की दिशा में आधे-अधूरे प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि वर्तमान कानून में कुछ संशोधन करके किया गया है।

अधिनियम के प्रावधान यहाँ और वहाँ हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक बहुत बेहतर चुनाव प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है ताकि दागी धन और अपराधियों के शारीरिक बल का प्रभाव लोकतंत्र को एक प्रहसन न बनाए-नागरिक के मौलिक 'सूचना के अधिकार' को मान्यता दी जानी चाहिए और पूरी तरह से प्रभावी किया जाना चाहिए। चुनाव में भाग लेने और उम्मीदवार चुनने की एक नागरिक की यह स्वतंत्रता [2018] 10 एस. सी. आर. से अलग है।

एक मतदाता के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग जो वैधानिक द्वारा विनियमित किया जाना है

आर. पी. अधिनियम की तरह चुनाव पर कानून।

113. पुनरुत्थान भारत बनाम। भारत निर्वाचन आयोग 3 3,

पूर्ववर्तियों के अनुरूप, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 20. इस प्रकार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक मतदाता को प्राथमिक अधिकार है

एक उम्मीदवार का पूरा विवरण जानें जो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला है

संसद और सूचना प्राप्त करने का ऐसा अधिकार सार्वभौमिक है। लोकतंत्र की अवधारणा से प्राप्त प्राकृतिक अधिकार को मान्यता दी गई

यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का एक अभिन्न अंग है। यह भी माना गया कि चुनाव के मामले में मतदाता के भाषण या अभिव्यक्ति में वोट डालना शामिल होगा, अर्थात, मतदाता मतदान करके बोलता है या व्यक्त करता है। इस उद्देश्य के लिए, जानकारी

चयनित किए जाने वाले उम्मीदवार के बारे में जानना आवश्यक है। इस प्रकार, स्पष्ट शब्दों में, यह माना जाता है कि नागरिक का जानने का अधिकार

संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार का गठन होगा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का अभिन्न अंग और कोई भी अधिनियम, जो मौलिक अधिकारों का अपमान करता है, शुरू में ही अधिकार से बाहर है।

फिर सेः

" 27. यदि हम भारत संघ द्वारा उठाए गए विवाद को स्वीकार करते हैं। जिस उम्मीदवार ने झूठी जानकारी के साथ हलफनामा दायर किया है और साथ ही जिस उम्मीदवार ने खाली रखे गए विवरणों के साथ हलफनामा दायर किया है, उसे समान माना जाना चाहिए, इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। 'जानने का अधिकार', जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है जैसा कि एसोसिएशन में व्याख्या की गई है। लोकतांत्रिक के लिए सुधार "।

न्यायालय ने निर्देशों का सारांश इस प्रकार दियाः

" 29.1 . मतदाता को संसद/विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार का पूरा विवरण जानने का प्राथमिक अधिकार है और जानकारी प्राप्त करने के इस तरह के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार, यह माना जाता है कि उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार लोकतंत्र की अवधारणा से प्राप्त एक प्राकृतिक अधिकार है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का एक अभिन्न अंग है।

4) 14 एस. सी. सी. 189 सार्वजनिक रुचि आधार और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

29.2 . नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम उद्देश्य मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाना है।

प्रासंगिक जानकारी। 29.3 . खाली विवरणों के साथ शपथ पत्र दाखिल करने से

एफिडेविट निरर्थक।

29.4 . निर्वाचन अधिकारी का यह निरीक्षण करना कर्तव्य है कि क्या नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करते समय आवश्यक जानकारी पूरी तरह से प्रस्तुत की गई है क्योंकि ऐसी जानकारी नागरिकों के जानने के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुस्मारक के बाद भी रिक्त स्थान भरने में विफल रहता है, तो नामांकन पत्र अस्वीकार किए जाने के योग्य है। हम करते हैं।

यह समझें कि नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के लिए निर्वाचन अधिकारी की शक्ति का उपयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए लेकिन बार

इसे इतना ऊँचा नहीं रखा जाना चाहिए कि न्याय अपने आप में पूर्वाग्रहपूर्ण हो।

29.5 . हम इस हद तक स्पष्ट करते हैं कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मामले का पैरा 73 निर्वाचन अधिकारी के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के रास्ते में नहीं आएगा जब हलफनामा खाली विवरण के साथ दाखिल किया जाता है। 29.6 . उम्मीदवार को कॉलम में स्पष्ट रूप से 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' के रूप में टिप्पणी करने के लिए न्यूनतम प्रयास करना चाहिए।

और विवरण को खाली न छोड़ें।

29.7 . रिक्त स्थान के साथ शपथ पत्र दाखिल करने पर आर. पी. अधिनियम की धारा 125-ए (आई) का सीधा असर पड़ेगा। हालाँकि, चूंकि नामांकन पत्र स्वयं निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि

उम्मीदवार को फिर से उसी कार्य के लिए मुकदमा चलाकर दंडित किया जाना चाहिए।

उसे। ”

115. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ का मानना था कि संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने इन लाखों आदर्श मतदाताओं के लिए चुनाव में जाना और इस तरह देश के शासन में भाग लेना संभव बना दिया है। यह आगे फैसला किया गया है कि लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए, यह

यह आवश्यक है कि देश के उचित शासन के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्तियों को जन प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाना चाहिए। जैसा कि लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा अपेक्षित है, सबसे अच्छे उपलब्ध लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए और मतदाताओं को इसके बारे में जानने का अधिकार है। उनकी पूर्ववृत्तियाँ, परिसंपत्तियाँ और अन्य पहलू। हम ऐसा कहने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि एक संवैधानिक लोकतंत्र में, राजनीति का अपराधीकरण एक अत्यंत विनाशकारी और दुखद स्थिति है। लोकतंत्र में नागरिक ऐसा नहीं कर सकते।

स्वयं को असहाय बताकर भ्रष्टाचार के मूक, बधिर और मूक दर्शकों के रूप में खड़े होने के लिए मजबूर होना। मतदाताओं को अपने भाग्य के अनुसार इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी को वह सब कुछ व्यक्त करना चाहिए जो कानून के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक है। पूर्ववृत्तियों का खुलासा चुनाव को निष्पक्ष बनाता है और मतदाताओं द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग भी पवित्र हो जाता है। यह याद रखना होगा कि इस तरह का अधिकार लोकतंत्र के लिए सर्वोपरि है। एक मतदाता को एक सूचित विकल्प का अधिकार है। यदि उचित जानकारी प्राप्त करने के उसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, तो अंतिम रूप से यह लोकतंत्र के विनाश का कारण बन सकता है क्योंकि वह एक जागरूक मतदाता नहीं होगा जिसे उन उम्मीदवारों के बारे में अंधेरे में रखा गया है जिन पर जघन्य अपराधों का आरोप है। वर्तमान परिदृश्य में, उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है और मतदाताओं की भीड़ वास्तव में अतीत के बारे में नहीं जानती है। जानकारी प्राप्त करने का उनका अधिकार प्रभावित होता है।

116. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं जो निम्नलिखित निर्णयों के अनुरूप हैं -

यह न्यायालयः

(i) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म को भरना होगा और फॉर्म में सभी विवरण शामिल होने चाहिए। उसमें आवश्यकतानुसार विवरण।

((ii) यह आपराधिक मामलों के संबंध में मोटे अक्षरों में बताएगा।

उम्मीदवार के खिलाफ लंबित।
(iii) यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे पार्टी को इसके बारे में सूचित करना आवश्यक है।

((iv) संबंधित राजनीतिक दल सहन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी वेबसाइट उम्मीदवारों से संबंधित उपरोक्त जानकारी है

आपराधिक पृष्ठभूमि।

सार्वजनिक रुचि फाउंडेशन और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

(v) उम्मीदवार के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेगा उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में स्थानीयकरण और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार भी करते हैं। जब हम व्यापक प्रचार कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि इसे दाखिल करने के बाद कम से कम तीन बार किया जाएगा।

नामांकन पत्र।

117. इन निर्देशों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सच्ची भावना और सही गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। किसी कानून या विधायी अधिनियम में कुछ खामियां या खामियां हो सकती हैं जिन्हें निश्चित रूप से विधायिका द्वारा संबोधित किया जा सकता है यदि यह उचित इरादे, मजबूत संकल्प और सही सोचने वाले दिमागों की दृढ़ इच्छा से समर्थित है।

स्थिति में सुधार करें। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन की कमी के लिए कानून को हमेशा दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, यह सभी संबंधित लोगों की गंभीर जिम्मेदारी है कि वे राजनीति और लोकतंत्र में शुद्धता की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक जागरूक नागरिक को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनों के साथ-साथ निर्देशों को लागू करें, क्योंकि अंततः यह नागरिक हैं जो किसी राष्ट्र में राजनीति के भाग्य और पाठ्यक्रम का फैसला करते हैं और इस तरह यह सुनिश्चित करते हैं कि "हम जितना योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं करेंगे", और इस प्रकार, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी नागरिकों द्वारा बुद्धिमान निर्णय लेने और सूचित चयन का आधार बनती है। यह स्पष्ट रूप से कहा जाए कि सूचित विकल्प एक शुद्ध और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। 118. हमने अत्यधिक पीड़ा के साथ उपरोक्त निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग किसी उम्मीदवार को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकता है। एक समय आ गया है कि संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना चाहिए कि गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति राजनीतिक धारा में प्रवेश न करें। अभियुक्त के निर्दोष होने की धारणा के तहत छिपना एक बात है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं और कानून बनाने में भाग लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के गंभीर आपराधिक आरोप से ऊपर होना चाहिए। यह सच है कि संभावित उम्मीदवारों पर झूठे मामले थोपे जाते हैं, लेकिन संसद द्वारा उचित कानून के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है। राष्ट्र इस तरह के कानून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि समाज को उचित संवैधानिक शासन द्वारा शासित होने की वैध अपेक्षा है। मतदाता संविधानवाद को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए रोते हैं। जब धन और बाहुबल सर्वोच्च शक्ति बन जाते हैं तो देश पीड़ा महसूस करता है।

मेरी अदालत की रिपोर्टराजनीति की प्रदूषित धारा को साफ करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ काम किया जाता है ताकि वे राजनीति में प्रवेश भी न कर सकें। उन्हें रखा जाना चाहिए

निश्चित रूप से, लोकतंत्र का कानून बनाने वाला पक्ष इस दुर्भावना को ठीक करने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। हम ऐसा कहते हैं जो लाइलाज नहीं है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इलाज कब और कैसे किया जाता है; बेहतर होगा कि यह जल्दी ठीक हो जाए।

7. इस प्रकार हम अलग हो जाते हैं।

याचिकाओं और आपराधिक अपीलों का निपटारा किया जाता है।

मामलों का निपटारा किया गया।